मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (First Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–7 (3)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

(Practical Work Manual)

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं विभिन्न विभागों की योजनाएँ

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) – 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-7 (3)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

Practical Manual

महत्वपूर्ण श्रम कानून और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं विभिन्न विभागों की योजनाएँ

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (First Year)

With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– **संस्करण 2017**

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखनः–

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल

राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशकः–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

कार्य पुस्तिका की रूपरेखा

1. **प्रस्तावना**

2. **क्षेत्रीय कार्य निर्देशिका – एक परिचय**

3. **प्रायोगिक/जमीनी कार्य की रिपोर्ट का स्वरुप**

भाग–एक – महत्वपूर्ण श्रम कानून

4. **कुछ चुनिन्दा श्रम कानून**

क. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

ख. ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

ग. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1976

घ. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

ङ. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

च. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

छ. बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

ज. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

झ. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

ञ. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

ट. कारखाना अधिनियम, 1948

ठ. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

5. **भाग–एक के लिए मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रूपरेखा**

भाग – दो मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और मण्डल की योजनाएं

1. देश और समाज के निर्माण के आधार – श्रम और श्रमिक

2. **पृष्ठभूमि**

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 – कानूनध्योजना के मुख्य हिस्से

3. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

4. निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

5. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

- दायित्व, पंजीयन की प्रक्रिया और भूमिका

6. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के चलाई जा रही योजनाएं

7. भाग–दो के लिए प्रायोगिक/मैदानी कार्य

8. भाग–दो के लिए प्रायोगिक/मैदानी कार्य की रिपोर्ट

भाग – तीन मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों/मण्डलों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं

प्रस्तावना

श्रम और श्रमिकों के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल करने की कोशिश की जा रही है। इस पहल के तीन हिस्से हैं और तीनों को मिलकर एक समग्र पहल की रूपरेखा बन रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/मजदूरों के लिए एक योजना बनाई है; जिसका नाम है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए कानूनी सेवाएं, 2015; अपन सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में श्रम और श्रमिकों का योगदान असाधारण है। वर्ष 2007–08 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र के लिए नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन (2009–10) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल श्रमशील जनसँख्या में से 93 से 94 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं, यानी उनके लिए बेहतर नीतिगत–कानून संरक्षण उपलब्ध नहीं है, उनकी रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। उन्हें कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, उन्हें अवकाश और आराम का कोई अधिकार नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व हक नहीं मिलते हैं, जिससे महिलाओं और छोटे बच्चों के जीवन का अधिकार सीमित होता जाता है। यह तबका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आधे से ज्यादा का योगदान देता है। सबसे ज्यादा श्रमशील जनसँख्या खेती के काम में जुटी हुई है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाज और अर्थव्यवस्था में पूरा हक और पूरा स्थान दिलाने के मकसद से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने तय किया है कि इन समूहों के कानून–सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहल की जाए। इस पहल में यह तय किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हितों को लिए जो भी कानून, नीतियां और योजनाएं बनी हैं, उनका मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर पूरा–पूरा क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को उनके हक मिलें। हम यह भी जानते हैं कि अभी कुछ कानून बने तो हैं, पर उन्हें लागू करने का ढांचा नहीं बना है, जैसे सामाजिक सुरक्षा कानून, 2008; श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के कार्यक्रम चलाने के लिए इकठ्ठा किए जाने वाले "सेस" का भी कोई रचनात्मक उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि तंत्र में इसके लिए बहुत प्रतिबद्धता नहीं रही है। ऐसे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हकों को सुरक्षित करने और उनकी पहचान को स्थापित करने के लिए ठोस पहल कर रहा है। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक विशेष सेल/प्रकोष्ठ का गठन करेगा, जिसमें श्रम कानून के एक विशेषज्ञ वकील, एक श्रम कानून परामर्शदाता और श्रम अधिकारों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि की नियुक्ति से उस प्रकोष्ठ का संचालन होगा।

इसमें मुख्य रूप से कानून साक्षरता के अभियान, प्रशिक्षण कार्यशालाएं और संवाद की श्रृंखला चलाई जाएगी। राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी श्रमिकों का पंजीयन हो

और उन्हें उनके हक/सेवाएं अनिवार्य रूप से मिलें। जहाँ जरूरत/मांग हो, वहां मजदूरों को उनके हक पाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पक्ष में इस पहल का दूसरा हिस्सा है मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा बनायी गयी जागरूकता, पहचान, पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए परियोजना (2016) लागू की है। इस परियोज़ना के मुताबिक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत श्रमिकों, (जिनकी संख्या लगभग 25 लाख है), के लिए बनायी गयी 22 योजनाओं का लाभ वास्तव में हर मजदूर तक पहुंचाना है।

इस परियोजना के जरिए विभाग श्रमिकों की आय, काम की शर्तों, उनकी कानूनी अधिकारों, उनके कौशल के विकास से संबधित सघन कार्यक्रम चलाएगा। इतना ही नहीं महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, बाल मजदूरी, बाल, विवाह, खेलकूद, सांस्कृतिक और आमोद–प्रमोद के अधिकार सरीखे पहलुओं पर भी काम किया जाना तय हुआ है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हकों के लिए हो रही पहल का तीसरा हिस्सा प्रक्रिया और भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि मध्यप्रदेश सरकार जन अभियान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम का संचालन कर रही है। पहले ही साल में इस पाठ्यक्रम में 12 हजार छात्र–छात्राएं शामिल हुए थे। दूसरे साल भी इतने ही इसमें और जुड़े। इस कार्यक्रम में अकादमिक और सैद्धांतिक पक्ष से ज्यादा महत्व मैदानी काम पर दिया जा रहा है। जो भी छात्र–छात्राएं इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन्हें सामाजिक महत्व के विषयों पर एक पंचायत/क्षेत्र में सघन रूप से काम करते हुए समाज में न केवल जागरूकता का स्तर बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों/सम्बंधित समूहों को संगठित करके उनके हकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाना होगी। जब छात्र–छात्राएं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में काम करेंगे तो वे सर्वेक्षण करके स्थिति का वास्तविक रूप से भी जानेंगे, उन्हें संगठित करेंगे, कानून/नीति और नियमों से उन्हें अवगत करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों का पंजीयन हो, उन्हें उनके हक मिलें और समाज में उन्हें बराबरी का स्थान मिले। हमें लगता है कि इस प्रक्रिया से हम मजदूरों के शोषण को रोक पाएंगे। जब हजारों छात्र–छात्राएं मजदूरों के हकों के पक्ष में किसी विचार के साथ खड़े होकर पहल करेंगे, तो व्यवस्था के चरित्र में भी बदलाव जरूर आएगा। हम मानते हैं कि यह पहल सरकारी तंत्र के द्वारा होना संभव नहीं है, इससे सामुदायिक नेतृत्व को जोड़ना एक अनिवार्यता है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इस पाठ्यक्रम में हम जानते हैं कि छात्र–छात्राओं को पढ़ाने के लिए परामर्शदाता शिक्षा (मेंटर) चुने गए हैं। इन परामर्शदाताओं (मेंटर्स) को प्रशिक्षत करने में प्राधिकरण अहम् भूमिका निभाएगा। सोच यह है कि इस प्रक्रिया से राज्य

के हर विकासखंड में प्रशिक्षित कानून के जानकार कार्यकर्ता उपलब्ध हो जायेंगे, जो समाज को कानूनी हक दिलाने में मदद करेंगे और व्यवस्था की जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर चलने वाली कक्षाओं में कानूनी विषयों पर शिक्षण के काम में न्यायपालिका के स्थानीय न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों की सहभागिता रहेगी।

इस पहल को लागू करने के लिए यह मैदानी/प्रायोगिक कार्य पुस्तिका बनायी गयी है। यह कार्यपुस्तिका दो भागों में है– भाग एक में महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का उल्लेख है, जबकि भाग दो में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और मण्डल के द्वारा संचालित सभी योजनाएं के बारे में जानकारियाँ दर्ज हैं। हमें इस पुस्तिका को केवल जानकारियों या पाठ्यक्रम की औपचारिकता के नजरिए से उपयोग में नहीं लाना है, हमें श्रम और श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में भूमिका और उनके योगदान को महसूस करना होगा, तभी हम उनके पक्ष में ईमानदार और प्रभावशाली पहल कर पाएंगे। इस पुस्तिका में हमें कई कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, साथ ही मैदानी/प्रायोगिक कार्य के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनाना है, उसके दिशा निर्देश भी इसमें दर्ज हैं। इस हिस्से को पढ़ना/समझना बहुत जरूरी होगा, तभी हमारी भूमिका सफल होगी।

यह एक व्यापक कोशिश है, जिसे मूर्त रूप देने में मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी आर नायडू और श्रम आयुक्त श्री शोभित जैन ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

मुझे विश्वास है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में जिस व्यापक बदलाव का सपना हम सब देखते हैं, उसे पूरा करने में यह साझा पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन

(कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)

क्षेत्रीय कार्य निर्देशिका – एक परिचय

प्रस्तावना

आजादी के 69 वर्षों के बाद भी आज हमारे देश का एक बड़ा मजदूर वर्ग अपने कानूनी अधिकारों एवं शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित है। हमारे देश का अधिकांश मजदूर वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों, असंगठित क्षेत्र, वन क्षेत्रों एवं निर्माण कार्यों में संलग्न है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उनके समुदाय के प्रदेश के और देश के हित में आवश्यक है। कमजोर दलित शोषित एवं महिला एवं बालक वर्ग को उनके अधिकार दिलाना तथा उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जागरूक करना हमारा नैतिक दायित्व भी है और इस कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता एक अदम मजदूर निभा सकता है।

इस अनभिज्ञता के कई कारण है जिनमें निरक्षरता, मजदूर संघों की ग्रामीण इलाकों एवं असंगठित क्षेत्रों में पहुंच कम होना प्रमुख है।

उद्देश्य

वंचित एवं पिछड़े वर्ग के अंसगठित एवं शोषित श्रमिकों को उनके उत्थान हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसे सभी श्रम कानूनों की जानकारी हो जिसमें उनके अधिकारों सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा एवं कार्य दशाओ का प्रावधान है, तभी वे खुशहाल सम्पन्न भूख भय एवं असमानता के दंश से मुक्ति पा सकेंगे। श्रम के महत्व और श्रमिकों का सशक्तिकरण बदलाव की आधारभूत जरूरत है।

निर्माण योजनाओं में श्रम कानूनों में निहित लाभों को निम्नतम मजदूर वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व) के लिए बनायी गयी इस पुस्तिका के पहले भाग में महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को क्षेत्रीय कार्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। हमें यह प्रयास करना है कि इन कानूनों के प्रावधानों एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ वंचित मजदूर वर्ग को प्राप्त हो और इस पुनीत कार्य में आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

इसी पुस्तिका के दूसरे भाग में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और इसके द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का विस्तार से उल्लेख है।

क्षेत्रीय कार्य का तरीका

- क्षेत्रीय कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ समय इस बात पर विचार करने के लिए लगाना चाहिए कि हम जब अपने समुदाय, गांव या समाज को बेहतर बनाने की बातें करते हैं, तब हमारे सामने कैसे समाज और गांव का चित्र उभरता है, हम अपने परिवेश को किस रूप में देखना चाहते हैं।
- हम जिस गांव, बस्ती, समुदाय के बारे में विचार कर रहे हैं, वहां सबसे वंचित, शोषित और सबसे उपेक्षित कौन है और क्यों हैं ?

- जरा उन जानकारियों को इकट्ठा करें, जिसने यह पता चले कि वहां किन–किन लोगों के लिए, किस–किस तरह की योजनाएं कार्यक्रम और कानून मौजूद है।
- अपने से यह सवाल पूछिए कि क्या मुझे जानकारी है –
  - ➢ समुदाय में सबसे वंचित लोगों के बारे में।
  - ➢ उनके वंचितपन के कारणों के बारे में।
  - ➢ इसके बारे में पंचायत में किन–किन लोगों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
  - ➢ लोगों को कौन–कौन से हक कानूनों के जरिए मिले हुए हैं।
  - ➢ सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति क्या है।
  - ➢ हमने यह तय कर लिया है कि सामुदायिक नेतृत्व की प्रक्रिया से जुड़ने का मतलब है लोगों से, खास तौर पर सबसे वंचित तबके की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाना।
- इसके लिए हमें एक तरफ तो जानकारियों को इकट्ठा करना होगा, दूसरी तरफ लोगों को एकजुट करते हुए योजनाओं–कार्यक्रमों–कानून का सही रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
- क्षेत्रीय कार्य के प्रारंभ में हमें अपने विषय श्रम कानून एवं योजनाओं के लाभ से संबंधित जानकारी एकत्रित करना होगी जिसे –
  - ➢ कितने मजदूर क्षेत्र में निवासरत है?
  - ➢ क्षेत्र में कितने मजदूर क्षेत्र के बाहर काम पर जाते–आते है?
  - ➢ क्षेत्र में कितने मजदूर कार्यरत है, और वे किन कार्यों/नियोजनों में किन कारखानों/संस्थानों में कार्यरत है?
  - ➢ मजदूर कितनी अवधि से कार्य कर रहा है और उसका मालिक/नियोजक कौन है?
  - ➢ मजदूर को कितना वेतन प्राप्त हो रहा है और वेतन के भुगतान की अवधि क्या है?
  - ➢ क्षेत्र के कितने निर्माण मजदूर कार्यरत अथवा निवासरत है, तथा उन्हें कौन सी योजनाओं में क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और क्या उसे यह ज्ञात है?
  - ➢ यदि किसी निर्माण मजदूर को पात्रता है तो क्या वह लाभ उसने प्राप्त किया है, यदि नहीं तो क्यों और अब उसे लाभ किस प्रकार दिलाया जा सकता है?
  - ➢ किस योजना के अंतर्गत सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है?
  - ➢ किस कानून के अंतर्गत कौन सा अधिकार मजदूर को नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कौन है?
  - ➢ क्या क्षेत्र में कहीं 14 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिका किसी खतरनाक कार्य या व्यवसाय में कार्यरत है, यदि हाँ तो कहाँ हैं व कितने हैं?

- क्या क्षेत्र में बंधुआ मजदूर प्रथा प्रचलित है और मजदूर इसके जाल में फंसे हैं? यदि हाँ, तो कहाँ व कितने?

- हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जानकारियों को समूह चर्चा और खुले संवाद के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में बाँटें और वहीं उसका विश्लेषण करें। कोशिश करें कि अपनी जानकारी ज्ञान और पूर्वाग्रहों से यह विश्लेषण प्रभावित न हो।
- क्षेत्रीय कार्य के लिए हमने जो विषय या मुद्दा तय किया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और हम उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं? हम अपनी प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, यह एक कागज पर लिख लें।
- क्षेत्रीय कार्य के अंत में आपको यह जांचना है कि जब हमने शुरुआत की थी, तब क्या स्थिति थी और हमारी पहल के बाद हमने स्थितियों को कैसे और कितना बदला?
- अपने काम, अनुभवों, समाज से बातचीत के दौरान उभर कर आ रहे बिन्दुओं को लगातार लिखते जाना उपयोगी होगा।
- यह जांचें कि हम जिस विषय/मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उसका टिकाउ विकास लक्ष्यों से क्या जुड़ाव है?
- श्रम कानूनों एवं विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में इस तथ्य की अवश्य जांच करें कि क्या सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा हकधारकों को समुचित अधिकार अथवा लाभ प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं?
- कुछ तरीके, जिनका उपयोग किया जाए –
  - समुदाय के साथ समूह चर्चा और उसका दस्तावेजीकरण करना।
  - योजना/कानून से संबंधित लोगों/परिवारों से सघन बातचीत।
  - योजना/कार्यक्रम से संबंधित स्थानों/दफ्तरों का भ्रमण और अवलोकन।
  - तथ्यों और जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली।
  - उपलब्ध हो रही जानकारियों/तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखना।
  - उपलब्ध जानकारियों की पुनः जांच।
  - ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या संबंधित विभाग से अपने विषय/गांव से संबंधित जानकारियों हासिल करना।
  - सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना।
  - समुदाय के आवेदन बंनवाना, लगवाना और फालोअप में उनकी मदद करना।

इस कार्यपुस्तिका में दो भाग हैं। जब आप अपने मैदानी कार्य की योजना बनाएंगे, तब यह ध्यान रखियेगा कि आपका कार्य कौन से भाग से सम्बंधित है? इसके हिसाब से ही अपने कार्य की रूपरेखा और रिपोर्ट की तैयारी कीजियेगा।

प्रायोगिक/जमीनी कार्य की रिपोर्ट का स्वरुप

आपको अपने प्रायोगिक कार्य के तहत अंत में एक लिखित रूप में एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसमें आपको निम्न बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगी ?

बिंदु	अपेक्षा	शब्द संख्या	आपका उत्तर और विश्लेषण
मकसद	हमने जिस विषय/मुद्दे पर प्रायोगिक/जमीनी काम किया, वह विषय हमने क्यों और कैसे चुना? क्या हम श्रम और श्रमिकों के योगदान के बारे में स्पष्ट सन्देश दे पाए ?	200 शब्दों में	
परिस्थिति का आंकलन	जिस विषय/मुद्दे पर हमने प्रायोगिक/जमीनी काम किया, उस विषय की स्थिति काम की शुरूआत में क्या थी यानी परिस्थिति क्या थी? हमने परिस्थिति का आंकलन कैसे किया? यह देखिये कि किन किन क्षेत्रों में श्रमिक काम कर रहे हैं और उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं?	500 शब्दों में	
समुदाय की भूमिका और नेतृत्व	हमने जो काम किया उसमें समुदाय/उस विषय से प्रभावित लोगों की क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है कि समुदाय इस विषय से जुड़ पाया और इसमें नेतृत्व लिया? क्या श्रम,	500 शब्दों में	

	श्रमिकों के अधिकारों और श्रम कानूनों के बारे में अब लगातार बातचीत होने लगी है?		
प्रक्रिया	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी काम किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी? पंचायत से चर्चा, आवेदन, बैठक, संवाद, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से मिलना, समुदाय के साथ बैठकें, लिखा–पढ़ी आदि काम कब, क्यों और किस तरह से किये गए? और इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह जरूरी नहीं है कि श्रम कानूनों और श्रमिक अधिकारों के बारे में केवल मजदूरों और कामगारों से ही संवाद होय हमें यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, बच्चों, युवाओं, महिला समूहों और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं से भी इसके बारे में ख़ूब बातचीत–चर्चा हो.	1000 शब्दों में	
तैयारियां	इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य को करने के लिए हमने क्या–क्या तैयारियां की थीं? मसलन जानकारियां इकठ्ठा करना, समूह बनाने के लिए लोग की पहचान करना, सहयोगियों की पहचान करना अदि	500 शब्द	

साझेदारी	इस काम में हमें किन्होनें – किस तरह का सहयोग किया?	200 शब्दों में	
चुनौतियां	इस काम में हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां आयीं और हमने उनका सामना कैसे किया?	200 शब्दों में	
बदलाव / प्रभाव	इस काम को करने से क्या बदलाव आया, क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ? यह जरूरी है कि आपकी व्याख्या में आपकी भूमिका और क्या बदलाव हुआ, वह स्पष्ट रूप से नजर आये।	500 शब्दों में	
सीखें	इस काम के करने से हमें हमने क्या सीखा?	200 शब्दों में	
संख्यात्मक स्थिति	हमने जो प्रायोगिकध्मैदानी कार्य किया, उससे कितने लोगोंध्परिवारों को लाभ हुआ और किस तरह का लाभ हुआ? जैसे 100 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिया, काम पाया और समय पर मजदूरी हासिल की।	200 शब्दों में	
कोई और बात, जो आप साझा करना			

भाग – एक
महत्वपूर्ण श्रम कानून

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

मजदूरी भुगतान अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान करना, मजदूरी में से गलत कटौती को रोकना, गलत तरीके से किए गए जुर्माने पर रोक, मजदूरों के शोषण को रोकने और उनके अधिकारों को संरक्षण देना है। इस कानून में मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी, उसकी समय सीमा और अन्य सुविधाएं से सम्बंधित प्रावधान है।

यह कानून 18 हजार रूपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले मजदूरों पर लागू होता है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

मजदूरी

काम के बदले दी जाने वाली राशि को मजदूरी कहते है। इसका अर्थ सभी पारितोषिक (चाहे वह वेतन भत्ता हो या अन्य) से है, जो राशि के रूप में दी जा रही है। निर्धारित समय से ज्यादा समय तक काम करने पर (ओव्हर टाइम) या छुट्टी में किए गए काम के लिए दी गयी राशि, कोई इस प्रकार की अन्य राशि, मजदूर के काम खत्म होने पर दी गई मजदूरी, किसी कानून या योजना के तहत किए गए काम के तहत दी गयी मजदूरी भी इस परिभाषा में शामिल है।

परन्तु इसके तहत बोनस, आवास गृह, प्रकाश, जल, चिकित्सा सुविधा, पेंशन या भविष्य निधि अंशदान, यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य, विशेष खर्चा चुकाने हेतु राशि, ग्रेच्युटी शामिल नहीं है ।

मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी

कानून के अनुसार मजदूर को उसकी मजदूरी देने के लिए उसका मालिक अथवा नियोजक/नियोक्ता जिम्मेदार है, लेकिन कुछ जगह निम्न लोग भी जिम्मेदार होंगे –

कारखाने में कारखाना प्रबंधक, अन्य प्रतिष्ठानों में नियोजक, रेलवे में रेलवे प्रशासन तथा रेलवे प्रशासन की तरफ से अस्थायी क्षेत्र के लिए एक नामित व्यक्ति, संविदाकर्ता के मामले में एक ऐसे नामित व्यक्ति जो सीधे इससे (संस्था और मजदूरों से) जुड़े हों।

मजदूरी का समय

कानून की धारा 4 में यह स्पष्ट है कि किसी भी हाल में मजदूरी भुगतान में 30 दिन से ज्यादा की अवधि में नहीं होना चाहिए। इस कानून की धारा 5 में ये स्पष्ट है कि ऐसे किसी संस्थान (रेल

कारखाना या औद्योगिक या अन्य स्थापना) जिसमे 1000 से कम लोग काम करते हैं, उन्हें सातवें दिन मजदूरी का भुगतान करना जरूरी है।

किसी अन्य रेल कारखाने या औद्योगिक क्षेत्र या अन्य स्थापना में कार्यरत मजदूर को 10 दिन के अन्दर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

मजदूरी कटौती

जुर्माना, काम पर न आने की वजह के लिए, मजदूर की देखरेख में रखे गए माल या पैसे में हुए नुकसान के लिए मालिक, सरकार या किसी आवास बोर्ड द्वारा दी गयी रहने की सुविधा के लिए, मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए, न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत, बीमा पालिसी के लिए, व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) की फीस के लिए, मजदूर की भलाई के लिए बनाये गए फण्ड के लिए, सहकारी समिति तथा डाकघर बीमा की कटौती तथा कर्मचारी की अनुमति से अन्य कटौती की जा सकती है।

अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि उपरोक्त कटौतियों हेतु रकम किसी वेतन अवधि की कुल रकम का सरकारी सहमति होने पर वेतन की 75 प्रतिशत तथा अन्य प्रकरण में कुल वेतन की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इन सब का प्रावधान अधिनियम की धारा 7 से 12 में किया गया है।

जुर्माना

मजदूर पर किसी भी काम के करने या न करने के वजह से तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जब तक ऐसे जुर्माने के लिए पहले से अनुमति न ले ली गयी हो।

ऐसे कामों की सूची जिन पर जुर्माना लगाया जायेगा, उसकी सूचना प्रतिष्ठान या रेल के सम्बन्ध में (कारखाने को छोड़कर) किसी उचित जगह पर न लगायी गयी हो।

कोई भी जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को जुर्माने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो। किसी एक मजदूरी काल में लगाया गया जुर्माना मजदूरों को उस काम में मिलने वाली मजदूरी से तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 15 वर्ष से कम उम्र के मजदूर पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माना किश्तों में या 90 दिन के बाद वसूल नहीं किया जा सकता है।

मजदूरी से सम्बंधित शिकायत / सुझाव

मजदूरी में यदि किसी प्रकार की कोई कटौती की गयी हो या उसे मजदूरी मिलने में देरी हो रही हो तो वो श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्याययाधिकरण, श्रम अधिकारी या कर्मकार प्रतिकर के लिए किसी आयुक्त या श्रम अधिकारी, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क कर शिकायत कर सकता है।

शिकायत का आवेदन

कटौती या मजदूरी में हुई देरी के लिए मजदूर खुद, उसकी ओर से कोई वकील, कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन), निरीक्षक, अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है।

ऐसे मामले में आवेदन पत्र प्रकरण होने के एक साल के भीतर पेश किया जाना चाहिए। परन्तु अगर आवेदनकर्ता, प्राधिकारी या अधिकारी को आवेदन करने में हुई देरी के लिए कोई उचित कारण बता देता है तो आवेदन पत्र एक साल के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

शिकायत के बाद की प्रक्रिया

इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी / न्यायालय आवेदन करने वाले व्यक्ति और मालिक या मजदूरी देने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई हेतु बुलाएगा।

सुनवाई के बाद कटौती की राशि को मजदूर को वापस करने का आदेश दिए जा सकते हैं या मालिक को तुरंत मजदूरी देने का आदेश दिया जा सकता है। या फिर मुआवजा भी दिलाया जा सकता है।

सामूहिक आवेदन

किसी संस्थान में काम करने वाले मजदूरों को यदि मजदूरी से सम्बन्ध में एक सी परेशानी या विवाद है तो वो आवेदन सामूहिक तौर पर भी कर सकते हैं।

सजा का प्रावधान

कोई व्यक्ति जो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है और वह इस अधिनियम के अन्दर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 1500 रुपए से 7500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

मजदूरी भुगतान अधिनियम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में सम्बन्ध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी के भुंगतान में देरी होने पर उसका निराकरण मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत किया जायेगा।

शिकायत और कार्यवाही

यह कानून कहता है कि मजदूरी के भुगतान से सम्बंधित मामलों के निराकरण के लिए श्रम न्यायालय को अधिकार हैं।

इसके साथ ही कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत नियुक्त कारखाना निरीक्षक को सम्बंधित संस्थाओं में निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। निरीक्षक को अधिकार होगा कि वह संस्थान में प्रवेश कर सके और दस्तावेजों की जांच कर सके।

निरीक्षक को अधिकार होगा कि वह सम्बंधित व्यक्तियों के कथन ले सकता है।

मजदूरी के भुगतान से सम्बंधित शिकायतोंध्प्रकरणों के सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त स्तर के अधिकारी को दावों की सुनवाई करने का अधिकार है।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

ठेका मजदूरी का सीधा–सीधा मतलब है, मजदूरों को उन सभी अधिकारों से वंचित किया जाना, जो मजदूर होने के नाते उनके हक हैं। यदि कानून और नियमों की व्यवस्था का सक्रिय संरक्षण न हो तो ठेका मजदूरी, ठेका पर काम करने वालों के लिये एक प्रकार का अभिशाप है जो कि मजदूरों की जिंदगी को बद से बदतर बनाता है।

जो मजदूर ठेके पर मजदूरी करते हैं, उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है। जिसके बदले में उन्हें ओवरटाइम मिलना तो दूर की बात है, किए गए काम का पूरा वेतन भी समय पर नहीं मिलता है।

जो मजदूर ठेके पर काम करते हैं उन्हें स्थाई मजदूरों के मुकाबले में बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ता है। उन्हें हर वर्ष वेतन बढ़ोतरी भी नहीं दी जाती है।

ठेका मजदूरों को जीवन की सुरक्षा से भी वंचित किया जाता है। जब किसी फैक्टरी या उद्योग में कोई दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ित मजदूर के परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। क्योंकि मजदूरों का असली नियोक्ता कौन है, यह सिद्ध करना पीड़ित मजदूर के परिजनों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है।

जिन मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें न तो कोई पहचान पत्र दिया जाता है और न ही उन्हें कोई पे–स्लिप/भुगतान की रसीद दी जाती है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ठेका श्रम (विनियम आर उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लागू हुआ। इसका उद्देश्य किसी स्थापना में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित श्रमिकों के रोजगार से सम्बंधित सेवा शर्तो का विनियमन रहा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में ठेका प्रथा से काम को खत्म करने संबंधित प्रावधानों के साथ यह कानून लागू किया गया है।

इस अधिनियम के तहत काम की कुछ श्रेणियों में ठेका श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। कानून के तहत जो कार्य स्थायी और प्रकृति में बारहमासी होते है, उस कार्य के लिए ठेका श्रम पर सरकार द्वारा रोक लगायी जा सकती है। इसके तहत ठेका मजदूरों के लिए मजदूरी की दर सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

ठेका श्रम के प्रचलन में होने के पीछे मुख्य कारण मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति, रोजगार की कमी, बेरोजगारों की विशाल फौज और मुठ्ठी पर लोगो के पास पूँजी और उत्पादन के साधन का होना है।

यह अधिनियम किसी ऐसी स्थापना तथा प्रत्येक ऐसे ठेकेदार पर लागू है, जिनके द्वारा 20 या उससे अधिक ठेका मजदूर पिछले 12 माहों में नियोजित किए गए हों।

जिन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कामगारों की संख्या 20 या इससे कम है, उन पर यह अधिनियम लागू नही होगा, जबकि भारत में छोटे नियोजनों की संख्या कम नहीं है।

ठेका मजदूरी अधिनियम में मजदूरों के लिये पी.एफ., ग्रेजुएटी, अवकाश सुविधा, बोनस आदि को सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई ठेका मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसको केवल 3 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिनियम ठेकेदार या मूल नियोक्ता को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करता कि वह मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का हक प्रदान करे।

हमारे देश में सभी प्रकार के कामों के लिये ठेका मजदूरी एक प्रकार से अलिखित प्रावधान हो गया है। जबकि स्थाई और सालों–साल चलने वाले कामों के लिये मजदूरों को स्थाई तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिये और उन्हें सभी प्रकार के कानूनी अधिकार दिये जाने चाहिये।

देश में ठेका मजदूरी में इजाफा हुआ है। ठेका मजदूरी की यह बढ़ोतरी उन सभी क्षेत्रों में हुई है, जहां पर स्थाई काम के लिये ठेका मजदूरी करवाई जाती है। इनमें शामिल हैं– वाहन निर्माण उद्योग, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बी.पी.ओ., स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आदि। उपरोक्त सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पूरे वर्ष के लिये काम होता है, जहां पर सभी मजदूरों को स्थाई काम दिया जाना चाहिए।

कानून के अन्तर्गत पात्रता

ऐसे प्रत्येक ठेका मजदूर, जो ठेकेदार के माध्यम से किसी प्रमुख नियोजक (ठेकेदार को रखने वाले) के संस्थान में कार्य करता है, उसे इस कानून के प्रावधानों का लाभ लेने की पात्रता है।

मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम ऐसे संस्थान में लागू होता है जिसमे बीस या इससे अधिक कर्मचारी ठेका मजदूर के रूप मे नियोजित है या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन नियोजित थे।
- यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जो सामयिक एवं आकस्मिक प्रकृति का काम कर रहे हो।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत शासन को सलाह देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। जो कि विभिन्न स्थापनाओं में नियमित प्रकृति के कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित करने हेतु सुझाव दे सकती है तथा इस कानून से संबंधित

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान कर सकती है। ठेका श्रमिकों की कार्य दशाओं, सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसी स्थापना की प्रक्रिया या ठेका कार्य को प्रतिबंधित कर सकती है।

- प्रत्येक प्रमुख नियोजक, जो ठेकेदार से कार्य लेते हैं, को अपनी स्थापना का पंजीयन श्रम कार्यालय में अनिवार्यतः कराये जाने का प्रावधान किया गया है। पंजीयन अधिकारी को पंजीयन करने अथवा गलत जानकारी देने पर इसे खत्म करने का अधिकार है।
- कोई भी ठेकेदार, बिना लायसेंस लिए ठेका मजदूर के माध्यम से कार्य संपादित नहीं कर सकता है। ठेकेदार इस हेतु श्रम विभाग के लायसेंस अधिकारी को आवेदन करेगा। लायसेंस अधिकारी को लाइसेंस जारी करने अथवा गलत जानकारी या प्रावधान का उल्लंघन पाये जाने पर लायसेंस रद्द कर प्रतिभूति राजसात करने का अधिकार है।
- मजदूर को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। बहरहाल मजदूरी की राशि न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा हो सकती है।
- मजदूरों की राशि में से ठेकदार का कमीशन नहीं काटा जा सकता है।

जरूरी सेवाएं और व्यवस्थाएं

- ठेका मजदूर के कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कानून के अनुसार ठेकेदार को 100 या अधिक ठेका मजदूर काम पर लगाने की स्थिति में कैंटीन की व्यवस्था एवं उसका रखरखाव करना होता है। इस केन्टीन में जो भोजन खाद्य सामग्री दी जायेगी, वह "न लाभ, न हानि" के सिद्धांत के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ठेका श्रमिकों के लिए रात्रि विश्राम गृह, पीने का पानी, शौचालय तथा कपड़ा धोने की व्यवस्था तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है।
- ठेका श्रमिकों को निर्धारित वेतन, कार्य के निर्धारित घंटे, अवकाश, ओवर टाइम आदि सुविधाएं नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकार है।
- ठेकेदार द्वारा इस कानून के अंतर्गत निर्धारित सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रमुख नियोजक का दायित्व है कि वह उसकी व्यवस्था करे।
- ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर प्रमुख नियोजक का उत्तरदायित्व है कि वह भुगतान की व्यवस्था करे।
- ठेकेदार श्रमिकों को प्रमुख नियोजक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वेतन का भुगतान करने हेतु प्रावधान है।

अनिवार्य कार्यवाही

- नियोक्ता किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने के तीन दिन के भीतर उस व्यक्ति को रोजगार कार्ड जारी करेगा।
- हर नियोक्ता ये रजिस्टर जरूर रखेगा – (एक) मास्टर रोल, (दो) मजदूरी रजिस्टर, (तीन) कटौतियों का रजिस्टर, (चार) ओवर टाइम रजिस्टर, (पांच) जुर्माने का रजिस्टर, (छः) अग्रिम का रजिस्टर। इन्हें नियमित रूप से भरा जाएगा और उनमें नवीनतम जानकारी दर्ज रहेगी।
- हर कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा जानकारी प्रदर्शित की जायेगी – (एक) मजदूरीध्पारिश्रमिक की दर, (दो) श्रम मजदूरी की अवधि, (तीन) मजदूरीध्पारिश्रमिक भुगतान की तारीख, (चार) सम्बंधित श्रम निरीक्षक का नाम और पता, (पांच) भुगतान नहीं की गयी मजदूरी के भुगतान की तारीखय
- अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों को स्थापना या परिसर की जांच करने, रजिस्टर रिकार्ड्स मांगने का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख नियोजक एवं ठेकेदार द्वारा रजिस्टर तथा रिकार्ड्स मेंटेंन करने एवं विधानानुसार सूचनाएं प्रदर्शित करने का प्रावधान है। इस कानून में निरीक्षक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस कानून का उल्लंघन करने वाले प्रमुख नियोजक/ठेकेदार के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- इस अधिनियमधनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास हो सकता है या रूपये 1000 (एक हजार रूपए) तक का जुर्माना किये जाने अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
- ठेका मजदूर कानून के प्रावधान के अनुसार फायदे ले सकते हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी, कार्य के निर्धारित घंटे तथा अवकाश समेत कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है। सुविधा प्राप्त न होने की स्थिति में वे जिले में स्थित श्रम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।

जिम्मेदारी और शिकायत

यदि मजदूर को ठेका श्रम (विनियम आर उन्मूलन) अधिनियम 1970 के मानकों के मुताबिक हक और सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वह श्रम निरीक्षक या श्रम अधिकारी के पास आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1976

रोजी रोटी की तलाश में मजदूरगण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। अनेकों प्रकरणों में यह पाया गया है कि ऐसे अंतर्राज्यिक प्रवासी कामागारों का विभिन्न स्तरों पर शोषण किया जाता है। इन श्रमिकों में मुख्य रूप से ऐसे मजदूर होते हैं, जिनके पास स्थानीय स्तर पर कोई अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं होता है अथवा ऐसे छोटे किसान जिनकी अपनी सीमित जमीन होती है और उस पर वे केवल एक फसल ले पाते हैं। इसके पश्चात वे भी एक मजदूर के रूप में अन्य राज्यों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1979 में यह कानून लागू किया गया।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

1. इस कानून का मंतव्य है कि जब कोई श्रमिक ठेकेदार मजदूरीध्काम के लिए एक राज्य से मजदूरों को दूसरे राज्य को ले जाता है, तब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उन मजदूरों का उस राज्य में शोषण न हो और उन्हें पूरी सुविधाएं मिलें।

2. जब कोई ठेकदार दूसरे राज्य से श्रम के लिए मजदूरों को लाना चाहता है, तब उसके पास उस राज्य सरकार के द्वारा जारी लाइसेंस होना चाहिए, जहां मजदूर ले जाए जाएंगे। मान लीजिए कि यदि राजस्थान का कोई ठेकेदार मध्यप्रदेश के मजदूरों को श्रम के लिए राजस्थान ले जाना चाहता है। तब उसके पास राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस पर यह लिखा होगा कि उसके (लाइसेंस की) वैधता कितनी और कब तक की अवधि की है और कितने मजदूरों की भर्ती के लिए लाइसेंस वैध है।

3. जब कोई लाइसेंसधारी ठेकेदार मजदूर/मजदूरों को अपने साथ श्रम के लिए ले जाता है, तब वह मजदूर से एक किस्म का अनुबंध करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह मजदूर/मजदूरों को वह दस्तावेज/पुस्तिका दे, जिसमें ये दर्ज हैं –

   - मजदूर का फोटो।
   - मजदूर का नाम और पता।
   - काम की जगह (जहाँ काम के लिए ले जाया जा रहा है) ।
   - कब तक के लिए अनिबंधित किया गया है? (काम जारी रहने की तारीख) ।
   - मजदूरी की दर और मजदूरी के भुगतान की तारीख/अवधि।

- विस्थापन भत्ता (दूसरे राज्य में काम के लिए जाने पर ठेकेदार मजदूर को एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है)।
- जब मजदूर वापस आएंगे, उसकी वापसी के लिए यात्रा/किराया व्यय।
- कितना अग्रिम दिया जा रहा है और किस तरह की कटौती होगी/हो सकती है।
- किस तारीख को मजदूर को भर्ती किया गया और काम किस तारीख को शुरू किया गया।
- जब व्यक्ति काम करने के लिए पंहुचेगा, तब उसकी हाजिरी दर्ज होना और काम से सम्बंधित जानकारियाँ दर्ज होना।
- मजदूर के नजदीकी रिश्तेदार/परिजन का नाम और पता (ताकि जरूरत पड़ने पर सूचना दी जा सके। अपन देखते हैं कि कोई दुर्घटना घट जाने या किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर परिजनों को ही सूचना नहीं मिल पाती है।)

4. यदि कोई ठेकेदार एक राज्य से दूसरे राज्य में 5 या अधिक श्रमिकों को ले जाता है तो उसे कानून के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार जिस संस्था में ठेकेदार द्वारा मजदूरों को नियोजित किया जा रहा हो, उस संस्थान को भी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है किन्तु यदि मजदूर स्वतः कार्य हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

5. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक मजदूर को एक पासबुक देने का प्रावधान है, जिसमें मजदूर का फोटो, नाम, कार्यस्थल, कार्य समाप्ति की तारीख, मजदूरी की दर एवं विस्थापन भत्ता व वापसी किराये की दर आदि की जानकारी का उल्लेख होता है।

6. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक मजदूर को आने जाने का किराया तथा विस्थापन भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। विस्थापन भत्ता एक महीने की आधी मजदूरी के बराबर होगा। ठेकेदार का यह भी दायित्व है कि वंह श्रमिकों को कार्य स्थल के अनुसार जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाए जैसे मकान, चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, शौचालय, गर्म कपड़े आदि।

7. यदि काम करने वाले प्रदेश में कानून का उल्लंघन किया जाता है तो मजदूर अपने गांव लौटकर छह महीने के अन्दर श्रम कार्यालय में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है तथा काम की जगह पर यदि ऐसा उल्लंघन किया जा रहा हो तो उस कार्यस्थल से संबंधित श्रम कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।

8. प्रवासी श्रमिकों को निर्धारित वेतन, कार्य के निर्धारित घंटे, ओवर टाइम व अवकाश आदि विभिन्न हक दिए जाना आवश्यक है।

9. यदि किसी प्रमुख नियोजक अथवा ठेकेदार द्वारा समुचित सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

श्रमिकों के अधिकार

जब मजदूर/श्रमिक दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएं पाने का अधिकार होता है। इस कानून के मुताबिक मजदूरों को–

1. आवास की सम्मानजनक व्यवस्था
2. स्वास्थ्य सेवा/इलाज
3. जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती होने पर भर्ती होने का खर्च, दवाईयां, खाना–पीना, आने–जाने के लिए सहयोग आदि
4. पीने का साफ पानी, स्वच्छता की स्थिति, शौचालय, नहाने–कपड़े धोने का स्थान
5. कैंटीन/भोजनशाला
6. बच्चों के लिए झूलाघर (जहाँ 20 से ज्यादा महिलायें तीन महीने के लिए काम कर रही होंगीं, वहां झूलाघर/बालवाड़ी की व्यवस्था होना चाहिए।)

जिम्मेदारी और जवाबदेहिता

हम इस बात का एक बार फिर से उल्लेख करना चाहते हैं कि मजदूरों के हकों की रक्षा करना पंजीकृत ठेकेदार की जिम्मेदारी है। इस कानून के तहत ठेकेदार का पंजीयन किया जाता है और उनके लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि पंजीकृत ठेकेदार कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो उनका पंजीयन और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

शिकायत कहां दर्ज होगी ?

इस कानून के उल्लंघन से सम्बंधित शिकायत श्रम निरीक्षक/श्रम अधिकारी के दफ्तर में की जा सकती है। यदि ऐसा होता है कि मजदूर के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वहां उसकी बात नहीं सुनी जाती है, जहाँ उसे काम के लिए ले जाया गया है, तब मजदूर अपने राज्य के श्रम अधिकारी का भी सहयोग ले सकता है। उस स्थिति में मजदूर छः महीनों के भीतर अपने राज्य में भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

किसी भी विकासशील देश के लिए मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए कानूनी सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू है। यह अधिनियम अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने और लागू करने की बात कहता है। न्यूनतम मजदूरी को सामाजिक न्याय के औजार के रूप में देखा गया है जिससे मजदूरों का शोषण न हो और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय सांख्यिकी सेवा के आंकड़ों के अनुसार देश में 86 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। यदि संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे लोगो को शामिल किया जाए तो यह 92 प्रतिशत हो जाता है। जिन्हें मजदूरी न्यूनतम दर से कम दी जाती है।

अधिनियम के तहत अनुसूचित रोजगारों में देय न्यूनतम मजदूरी की दर को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और कम से कम पांच वर्ष में एक बार उसकी समीक्षा करके संशोधित किया जाना चाहिए। इस मजदूरी में समय–समय पर बदलाव किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से भी राज्य स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। यह दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। राज्यों में नियमित अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी की दर में संशोधन होता है।

इस अधिनियम के तहत विभिन्न क्षेत्रों, रोजगार, कौशल के स्तर और विशेष काम में दक्षता आदि के हिसाब से अलग–अलग मजदूरी निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी कहीं दिनों, घंटों तो कहीं मासिक वेतन के रूप में निर्धारित की जाती है। एक दिन में मजदूर कितना काम करेगा, उसकी मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम के तहत तय होता है।

न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है वो है मजदूरी इतनी हो कि मजदूर और उसका परिवार सहित एक गरिमामय एवं स्वस्थ जीवन बसर कर सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कोई स्पष्ट तरीका नहीं बताया गया है, जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी, आधारभूत मजदूरी और जीवनयापन की लागत के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। लेकिन कानून में इसके कोई स्पष्ट आधार नहीं है। 1957 में हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में कुछ मानदंड सुझाए गए हैं। इनमे एक मजदूर पर तीन लोगों के खर्च का दायित्व, हरेक के लिए न्यूनतम 2700 कैलोरी भोजन, 72 गज कपडा प्रति वर्ष,

सरकारी औद्योगिक आवास कार्यक्रम के तहत न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु देय किराया तथा ईंधन, बिजली आदि के लिए कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत दिया जाना आदि सुझाए गए थे।

हालाँकि वर्तमान में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी की दर संशोधित करते हैं। इन दरों में भिन्नता होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान से शहरों की और विस्थापित होते हैं। अतः न्यूनतम मजदूरी को कानूनी तौर पर लागू किया जाना और इसके विभिन्न प्रावधानों को कड़ाई से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य श्रमिकों के जीवनयापन के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना एवं निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों को प्राप्त हो सके यह सुनिश्चित करना है। मकसद यह है कि इस कानून के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को, जिनमें ग्रामीण मजदूर भी शामिल है, को निर्धारित न्यूनतम वेतन मिल सके।

प्रभावशीलता

इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किये गये नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान में इस कानून के अन्तर्गत कृषि नियोजन सहित 66 नियोजन अधिसूचित हैं।

कानून में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और प्रावधान

नियोजक/मालिक – इस कानून में मालिक वह व्यक्ति कहलाता है जो किसी कर्मचारी को कोई कार्य करने के लिए स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उन स्थापनाओं या नियोजनों में कार्य पर लगाता है, जिन पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होता है।

मजदूरी – मजदूरी का आशय उस धनराशि से है, जो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए गए श्रम के बदले प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत न्यायालय के आदेश या समझौते के अनुसार दी गयी राशि, ओवर टाइम या अवकाश में किए गए कार्य हेतु दी गयी राशि, सेवाए, समाप्त होने पर मजदूर को दी गयी राशि अथवा किसी कानून या उसके अन्तर्गत बनायी गयी किसी योजना के तहत दी गयी राशि शामिल है।

किन्तु मजदूरी में कोई बोनस, आवास, बिजली, पानी, दवाई या अन्य सुविधाओं का मूल्य, पेंशन या भविष्य निधि में मालिक का योगदान एवं उस पर मिलने वाला ब्याज, कोई यात्रा भत्ता एवं ग्रेच्यूटी मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

कर्मचारी – इस अधिनियम के अन्तर्गत वह व्यक्ति कर्मचारी माना जाता है, जो मजदूरी के लिए कुशल या अर्धकुशल, शारीरिक या लिपिकीय काम कार्य करता है। जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी है। इसमें वह बाहरी मजदूर भी आते हैं जो किसी भी प्रकार के परिसर में निम्नलिखित कार्य करते हैं –

- किसी वस्तु को बनाने का कार्य।
- साफ–सफाई करने का कार्य।
- मरम्मत का कार्य।
- वस्तु को बेचने का कार्य।
- हाथ से किया गया लिखा–पढ़ी (लिपिक) का कार्य।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारण – निर्धारित मजदूरी से आशय शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की ऐसी दरों से है, जो कि हर साल 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर से पुनरीक्षित होती है। इसके अन्तर्गत मूल वेतन तथा प्रत्येक छः माह में घोषित होने वाला परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता शामिल होता है।

न्यूनतम वेतन का निर्धारण – अधिकांश नियोजनों में कार्य करने हेतु मासिक वेतन निर्धारित है परन्तु कुछ कामों में पीस रेट के आधार पर भी वेतन निर्धारण किया जाता है, जैसे स्लेट पेंसिल, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, कम्बल निर्माण के कार्यों में।

हाजिरी कार्ड तथा वेतन पर्ची – प्रत्येक नियोजक का यह वैधानिक दायित्व है कि वह नियोजित श्रमिकोंध्कर्मचारियों को हाजरी कार्ड तथा वेतन पर्ची प्रतिमाह प्रदान करे। हाजिरी कार्ड में मजदूर के कार्य पर आने एवं कार्य से जाने का समय दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार वेतन पर्ची में वेतन के भुगतान एवं कटौती के विवरण का उल्लेख करना जरूरी है।

हाजिरी एवं भुगतान रजिस्टर – इस कानून के प्रावधानों के अनुसार हर एक नियोजक श्रमिकों/कर्मचारियों से संबंधित उपस्थिति एवं वेतन भुगतान रजिस्टर तथा ओवर टाइम रजिस्टर सहित जुर्माना एवं कटौती आदि का रजिस्टर रखेगा। नियोजक द्वारा रखे जाने वाले हाजरी रजिस्टर में मजदूर की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं अवकाश का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसी प्रकार वेतन भुगतान रजिस्टर

में मजदूर द्वारा अर्जित वेतन, कटौती राशि, अग्रिम के रूप में ली गयी राशि आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

कार्य दिवस – शासन द्वारा नियमानुसार एक दिवस की कार्य अवधि 8 घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे निर्धारित है। इससे अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय के लिए ओवर टाइम का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

ओवर टाइम दर – निर्धारित कार्य अवधि के पश्चात कार्य करने पर सामान्यतः निर्धारित वेतन की दोगुनी दर से ओवर टाइम अवधि हेतु भुगतान किया जाना आवश्यक है।

साप्ताहिक अवकाश – इस कानून के अन्तर्गत 6 दिन कार्य करने पर 7 वें दिन सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है।

वेतन से कटौती – वेतन में से कटौती करने के निम्नांकित कारण हो सकते हैं –

- जुर्माना।
- काम पर नहीं आने की वजह से।
- मजदूर की देखरेख में रखे गये माल या पैसे में हुए नुकसान के लिए।
- मालिक/नियोक्ता, सरकार या किसी आवास बोर्ड द्वारा दी गयी रहने की सुविधा के लिए।
- मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए।
- न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत।
- व्यवसाय संघ (ट्रेड यूनियन) की फीस के लिए।
- बीमा पॉलिसी के लिए।
- मजदूर की भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए।

रजिस्टरों का रखा जाना – प्रत्येक नियोजक को मजदूरी पुस्तक तथा मजदूरी पत्र रखना अनिवार्य होगा।

दावे/शिकायत

यदि किसी मजदूर को निर्धारित मजदूरी/वेतन से कम दर से भुगतान प्राप्त होता है तो वह स्थानीय श्रम कार्यालय में छः माह के अन्दर शिकायत कर सकता है। वह स्वयं अपना दावा प्रकरण श्रम न्यायालय अथवा सहायक श्रम आयुक्त स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी के समक्ष भी सीधे प्रस्तुत कर सकता है। यह कार्यवाही स्वयं मजदूर अथवा उनका वकील या पंजीकृत मजदूर यूनियन के पदाधिकारी कर सकते हैं।

सूचनाओं का प्रदर्शन

सभी नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वह आवश्यक सूचनाएं जैसे क्षेत्रीय निरीक्षक का नाम, न्यूनतम मजदूरी की दरें, वेतन भुगतान की तारीख आदि अपने संस्थान के मुख्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुरुष से कम काम करती हैं एवं पुरुष द्वारा किए गए काम कठिन एवं ज्यादा श्रम वाले होते हैं। जबकि हकीकत में महिलाओं के काम की सही तरह से गणना एवं माप नहीं की जाती है। महिलाओं के काम को हमेशा अनुत्पादक, निरर्थक तथा अनुपयोगी माना जाता है। कई देशों ने तो अध्धयन में ये भी साबित करने की कोशिश की शारीरक रूप से महिलायें कमजोर होती हैं, जिस वजह से वो कम काम करती हैं और जिसके एवज में उन्हें कम वेतन मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों का महिला आन्दोलन ने जम कर विरोध किया। पूरी देश दुनिया में मनाए जाने वाले महिला दिवस की शुरुआत में सबसे अहम् बात महिलाओं के समान वेतन की ही थी।

महिलाओं की कमाई को सहायक मजदूरी मानने के नजरिये के कारण ज्यादातर कामगार महिला आबादी को अपने श्रम का उचित मूल्य कभी नहीं मिल पाता है। जो महिलायें संगठित क्षेत्र में काम करती है, उन्हें ही एक हद तक उनके श्रम का सही वेतन मिल पाता है। अपने देश में केवल 8 प्रतिशत मजदूर ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, शेष 92 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को न केवल कम वेतन मिलता है बल्कि वे उनके अन्य अधिकार जैसे कि फंड, बोनस, पीएफ, पेंशन, मातृत्व अवकाश या चिकित्सकीय अवकाश आदि से भी वंचित हो जाती हैं। अतएव सारा दिन काम करने के बावजूद महिलाओं की आर्थिक रूप से निर्भरता बनी रहती है। इसलिए सामान वेतन की मांग को महिला आन्दोलन और मजदूर संगठनों ने जम कर उठाया, जिसकी वजह से 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य लिंगभेद के आधार पर पुरूष एवं महिला श्रमिकों के वेतन के अन्तर को समाप्त करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

- इस कानून में समान या समान प्रकृति के कार्य से आशय ऐसे कार्य से है जिसमें पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान कार्य स्थितियों में एक समान कुशलता, प्रयास अथवा जिम्मेदारी की आवश्यकता हो।
- यदि इस कानून के प्रावधानों के विपरीत कोई अनुबंध अथवा सेवाशर्तों में उल्लेख, चाहे इस कानून के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात में किया गया हो, तो ऐसा अनुबंध अथवा सेवाशर्तों में उल्लेख निष्प्रभावी होगा।
- इस विधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सलाह अथवा सुझाव प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया जाता है कि समान प्रकृति के कार्य में किसी भी दशा में महिला मजदूर को उसी कार्य में लगे पुरूष मजदूर के समान वेतन दिया जाएगा।
- प्रत्येक नियोजक को निर्धारित प्रारूप में महिला कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित जानकारी रखना अनिवार्य है।
- ऐसा नियोजक जो समान कार्य हेतु महिला श्रमिकों को पुरूषों की तुलना में असमान वेतन का भुगतान करता है तो उसे 10 हजार रूपए तक का जुर्माना या एक माह तक कारावास अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

यह कानून कहता है कि समान काम करने के लिए महिलाओं और पुरुष को बिना किसी भेदभाव के समान वेतन/पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

महिलाओं और पुरुषों में समान योग्यता होने पर उन्हें समान पद/स्थान पाने का पूरा अधिकार होगा।

यह कानून कहता है कि महिलाओं को मूल वेतन के साथ जी अन्य सुविधाएँ, भत्ते, बोनस आदि भी पुरुषों के ही समान मिलना चाहिए।

निगरानी और शिकायत

इस कानून के तहत दर्ज प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी निरीक्षकध्श्रम निरीक्षक को निभाना है। इन निरीक्षकों को यह पूरा अधिकार है कि वे नियोक्ताध्काम देने वाले संस्थान में काम कर रहे लोगोंध्मजदूरों से सम्बंधित दस्तावेजोंध्रजिस्टरों की जांच करें और कर्मचारियोंध्मजदूरों से पूछताछ करें।

यदि कहीं इस कानून का उल्लंघन होता है, तब श्रम आयुक्त के दफ्तर में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के बारे में आपने पाठ्यक्रम के पहले साल के मैदानी प्रायोगिक कार्य पुस्तिका बच्चों के अधिकार–कानून , योजनाएं और व्यवस्थाएं में भी पढ़ा होगा। इस साल हमें श्रमिकों के व्यापक अधिकारों के नजरिए से हमें इसे समझने और पहल करने की जरूरत है। यही बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के समग्र विकास के नजरिए से बाल श्रम के विषय को जाना, समण जाए और उस पर पहल की जाए। यही कारण है कि इस विषय को पुनः पुस्तिका में शामिल किया गया है।

बालश्रम समाज का एक बड़ा मुद्दा है। हम सभी अपने आसपास होटलों में, कारखानों में, दुकानों में बच्चों का बचपन छिनते देखते हैं। यह उतना ही दुखद है कि हमारा समाज बच्चों को महफूज बचपन उपलब्ध करवा पाने में लगभग अक्षम साबित हुआ है। यह सीधे–सीधे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता नजर आता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि पढ़ने–लिखने, पलने–बढ़ने और खेलने–कूदने की उम्र में बच्चे हाड़तोड़ मेहनत करने पर मजबूर हैं?

बालश्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संविधान ने केन्द्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसे दूर करने के लिए कानून बनाए भी गए, लेकिन कुछ सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक कारक हैं कि बालश्रम की चुनौती हल होती दिखाई नहीं देती। नीतियों–प्रावधानों और जमीनी हकीकत में कोसों का फासला नजर आता है।

लगभग तीस साल पहले भारत सरकार ने बाल मजदूरी दूर करने के लिए गुरूपाद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने लंबे अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी हटाना संभव नहीं होगा। समिति ने सुझाव दिया था कि जोखिम भरे उद्योगों और कामों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि बच्चों की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है।

गुरूपाद समिति की सिफारिशों को बाल मजदूरी (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम के रूप में 1986 में लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई और अन्य शर्तों का निर्धारण किया गया।

हाल ही में इस कानून में संशोधन किया गया और देखा जाए तो इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की आयु से जोड़ने का भी काम किया गया है। हालांकि इस सब के बावजूद कुछ मामले मसलन परंपरागत व्यवसाय, टेलीविजन सीरियल, फिल्म, विज्ञापन और खेल की गतिविधियों (सर्कस को छोड़कर) गुरु–शिष्य संबंधों के तहत काम करने वाले बच्चे कानून में प्रतिबंधित कामों की सूची में शामिल नहीं होंगे, मगर इनका भी स्कूल जाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर प्रतिबंध लगाने वाले कानून एवं किशोर की नई परिभाषा के अंतर्गत जोखिमपूर्ण रोजगार में 14–18 साल के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध पर सैद्धांतिक सहमति तो दे दी है।

हम मानते हैं कि देश में किसी भी तरह का बालश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालश्रम कानून में ही देखें तो यह एक स्तर पर जाकर छह घंटे काम करने की बात भी कहता रहा है। इस तरह के विरोधाभासों के बीच समाज में बच्चों का शोषण रोक पाना और उनको एक बेहतर जिंदगी दे पाना कहां तक संभव हो पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। जाहिर है कि ऐसे दौर में जबकि देश के अलग–अलग कानून बच्चे की उम्र को लेकर अलग–अलग बात कहते हों, तब बच्चों की बेहतरी के लिए एक बेहद रणनीतिक लड़ाई की जरूरत है।

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम में सबसे हालिया संशोधन जुलाई, 2016 में हुए। कानून में हुए व्यापक संशोधनों को समझना जरूरी है।

1. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के मुताबिक –

- **किशोरवय** उसे माना गया है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- **बच्चा** उसे माना गया है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह परिभाषा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून (2009) से जोड़ कर रखी गयी है।

बच्चों के लिए श्रम का मतलब (जो 14 साल से कम उम्र के हैं);

2. कानून के मुताबिक कोई भी बच्चा श्रम/मजदूरी के काम में संलग्न नहीं होगा, लेकिन बच्चे परिवार की या पारिवारिक ऐसी इकाई में काम कर सकते हैं, जो खतरनाक उद्योगों/उपक्रम की श्रेणी में न आते हों। अपने परिवार के उपक्रमों में भी बच्चे स्कूली शिक्षा के समय के बाद या छुट्टियों में श्रम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो।

3. परिवार का मतलब है बच्चे के माता, पिता, भाई, बहन, पिता के भाई, पिता की बहन, माता के भाई, माता की बहन।

4. परिवार के उपक्रम/उद्यम का मतलब है ऐसा काम, पेशा, निर्माण और व्यापार, जो परिवार के सदस्यों के द्वारा अन्य लोगों के सहभाग से किया जाता हो।

5. कला के क्षेत्र में काम करने का मतलब है बच्चे का कलाकार, गायक, खेल समेत मनोरंजन और खेल से सम्बंधित काम।

6. इस कानून के मुताबिक बच्चे टेलिविजन, फिल्म्स, विज्ञापन सहित मनोरंजन उद्योग और खेल की गतिविधियों में काम कर सकते हैं। वे सर्कस में काम नहीं करेंगे। कानून में उल्लिखित क्षेत्रों में जहाँ भी काम करेंगे वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए।

किशोरवय के लिए श्रम का मतलब (जो 14 से 18 साल से कम उम्र के हैं);

7. कोई भी किशोरवय व्यक्ति को ऐसे श्रम में नहीं लगाया जाएगा, जिसे खतरनाक उद्धम की श्रेणी में रखा गया है। जैसे – खनन, ज्वलनशील वस्तुएं/पदार्थ और विस्फोटक, और खतरनाक प्रक्रियाएं;

सजा का प्रावधान

8. इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर, सम्बंधित व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 25 से 50 हजार रूपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में यदि यह पता चलता है कि माता–पिता/पालकों ने ऐसा करने की अनुमति दी है, तो उन्हें भी सजा दी जा सकेगी।

9. किशोरवय को ऐसे कामों में संलग्न करवाने की दशा में, जिनका इस कानून में प्रतिबन्ध है, नियोक्ता के लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 25 से 50 हजार रूपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में यदि यह पता चलता है कि माता–पिता/पालकों ने ऐसा करने की अनुमति दी है, तो उन्हें भी सजा दी जा सकेगी।

10. किसी व्यक्ति द्वारा दुबारा यही अपराध किये जाने की दशा में एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

बाल और किशोर श्रम पुनर्वास फंड

11. सम्बंधित सरकार हर जिले, या दो जिलो या ज्यादा जिलों के स्तर पर बाल और किशोर श्रम पुनर्वास फंड का निर्माण करेगी। इसमें नियोक्ताओं से वसूला जाने वाला जुर्माना जमा किया जाएगा।

12. इसमें सरकार भी 15 हजार रूपए प्रति बच्चे के मान से राशि जमा करेगी।

13. इस कानून के प्रावधानों को लागू करने करने के अधिकार जिला कलेक्टर को होंगे। जिला कलेक्टर इस काम को करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी अन्य अधिकारी को पाबन्द कर सकता है।

14. जिन क्षेत्रों/उद्यमों में बाल श्रम प्रतिबंधित है, वहां सरकार नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

कानून के मुख्य प्रावधान

- बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदान और खतरनाक रोजगारों में काम करने से रोकता है एवं जिन कार्यो में बाल श्रम पर रोक नहीं लगी है, वहां पर उनकी कार्य स्थिति को नियंत्रित करवाता है। कानून का उल्लंघन होने सम्बंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाना।
- कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकता है। इस प्रकरण में किसी भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट इस पर कार्यवाही कर सकता है।
- बाल मजदूरों को किसी हानिकारक काम में लगाने वाले को जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है।
- केंद्र सरकार बच्चों के हित में इन कार्यो को प्रतिबंधित करने एवं उन्हें नियंत्रित करने हेतु किसी भी प्रकार नियम बना सकती है।
- सरकार द्वारा 10 अक्तूबर 2006 को 1986 के बालश्रम अधिनियम में संशोधन कर पारित किया था कि घरों, होटलों व ढाबे पर बच्चों से कार्य करवाना अपराध है, इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड भी हो सकता है लेकिन इस कठोर कानून के बाद भी देश में बालश्रम बढ़ता ही जा रहा है।
- जो भी बच्चों को रोजगार देगा उन्हें एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होना जरूरी है – कार्यस्थल पर कार्य करने वाले हर बच्चे का नाम और जन्म तिथि, बच्चे ने

कितने घंटे कार्य किया, किस समय से कितने घंटे के लिए आराम का समय दिया गया, बच्चे को किस तरह का काम दिया गया, अन्य विषय।

- जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, उनसे किसी भी स्थिति में 1 दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इन 6 घंटों में से कम से कम 1 घंटा आराम का जरूर होना चाहिए। इन बच्चों से सुबह 7 के पहले और शाम 8 बजे के बाद काम करवाने की इजाजत नहीं। साथ ही हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी। यह छुट्टी तीन माह में एक बार से ज्यादा नहीं बदली जा सकेगी, और न ही बच्चों से ओवरटाइम करवाया जायेगा।
- बाल मजदूर जहाँ भी काम कर रहे हैं वहां उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित इंतजाम किये जायेंगे – कार्यस्थल पर साफ सफाई, धुंए या धुल से निपटने के लिए व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय, चलती हुई मशीनों से निकट सुरक्षा, हवादार वातावरण, विस्फोटक गैस–धुएं सम्बन्धी सुरक्षा, खतरनाक मशीनों से सुरक्षा, स्वचालित मशीनों से सुरक्षा, आग लगने की स्थिति में सुरक्षा इत्यादि सम्बन्धी नियम।
- अगर बाल मजदूर की उम्र को लेकर कोई विवाद इंस्पेक्टर और नियोक्ता के बीच होता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित–अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र अनुसार उम्र तय की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अंतिम प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
- इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेबर इंस्पेक्टर/निरीशक की होगी। ये विभिन्न औद्योगिक संस्थापनाओं में निरिक्षण का कार्य करेंगे।

बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

भारत में बहुत सी सामाजिक–आर्थिक बुराईयों में से एक बुराई बंधुआ मजदूरी भी है। ये हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बंधुआ मजदूरी के अन्तर्गत, एक व्यक्ति को उसके श्रम के बदले में नाममात्र या बिल्कुल भी मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है। कई बार व्यक्ति के कर्ज न चुकाने पर उसे बंधक बना लिया जाता है और उससे मजदूरी करवाई जाती है। इस अमानवीय प्रथा को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया था।

इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के गरीब दलित या कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकार या जमींदारों से कर्ज ले तो उसके बदले में कर्ज लेने वाले के पास जो भी कुछ चल–अचल संपत्ति है, उसे साहूकार या जमींदार, बंधक के रुप में अपने पास रख लेता है। जिसके चलते कर्ज लेने वाले को बिना किसी मजदूरी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये साहूकार कर्ज की ब्याज दरों को इतना ऊँचा रखते हैं कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी मूलधन ही नहीं चुका पाता। इसकी वजह से कर्ज लेने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज चुकाता रहता है।

बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के ही क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि शहरों में बहुत से क्षेत्रों में जैसे खनन, माचिस का निर्माण कार्य और भट्टे (जहाँ ईटों का निर्माण होता है) आदि में ये व्यापक रुप से फैली हुई है। शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम, नाममात्र के वेतन या बिना वेतन के बेचने पर मजबूर होना पड़ता है।

इस अमानवीय व्यवस्था प्रणाली में बच्चों को भी शोषित किया जाता है विशेष रुप से छोटे स्तर की कम्पनियों, जैसे– पटाखे निर्माण की ईकाईयाँ, माचिस निर्माण की ईकाईयाँ, टेक्सटाइल, चमड़े से वस्तु निर्माण के कार्यों आदि मेंय वो चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में भी सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिये मजबूर किये जाते हैं।

अलग–अलग क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों को अलग–अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि – बारहमसीया, कमिया, कुठिया, भगेला, मुंझी, नितमजुर, सेवक, सेरी, वेट्टी आदि।

इस प्रकार मूल रूप से ये एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसकी जड़ें भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मौजूद विशाल असमानताओं और भेदभाव के रुप में मौजूद हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार – मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णय देते हुये बंधुआ मजदूरी को बेगार के रुप में मान कर इसे अनुच्छेद–23 के अन्तर्गत असंवैधानिक घोषित किया है। अनुच्छेद–23 को प्रभाव में लाने के लिये संसद ने बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है। अधिनियम बंधुआ मजदूरी करवाने वाले के लिये दंडनीय अपराध की व्यवस्था करता हैं।

बंधक मजदूर कौन हो सकता है?

केवल मारपीट या बांधकर रखे जाने पर ही कोई बंधुआ मजदूर नहीं कहलाता बल्कि कई अन्य स्थितियों में कार्य करने वाला व्यक्ति भी बंधक मजदूर माना जाता है। जैसे –

- किसी कारणवश या जरूरत को पूरा करने के लिए (जैसे अनाज लेना, बीज, खाद, कीटनाशक, बीमारी के इलाज, शादी, मृत्यु भोज आदि) हासिल किये गए कर्ज (ऋण) का अपने श्रम द्वारा भुगतान करने हेतु बाध्य मजदूर।
- गिरवी रखे भूखण्ड को छुड़ाने के लिये बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- आवश्यकता पड़ने पर अनाज के उधार को मजदूरी से चुकाने हेतु बाध्य व्यक्ति।
- किसी जाति विशेष के होने के कारण जबरन श्रम करता व्यक्ति।
- किसी कार्य विशेष हेतु अग्रिम भुगतान (एडवांस) के बदले में बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- माता–पिता अथवा पूर्वजों द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी के बदले मजदूरी करने वाला।
- अधिक मजदूरी के लालच में बिना सोच विचार के काम की शर्तो का स्वीकार करने पर बाद में आवाजाही प्रतिबंधित कर जबरन श्रम कराने पर।
- निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त कर मजदूरी हेतु बाध्य किया गया व्यक्ति।
- यह भी देखा गया है कि जब मजदूर को अपने गांवध्बसाहट के आसपास कामध्मजदूरी नहीं मिलती है, तब उसे जीवनयापन के लिए दूसरे शहर या दूसरे राज्य को जाना पड़ता है। वहां ठेकेदारों द्वारा उनसे अमानवीय परिस्थितियों में कम मजदूरी पर काम करवाया जाता है और उनकी आवाजाही पर रोक लगाई जाती है।

कानून के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के बंधक श्रम अथवा बंधुआ मजदूरी को गैर–कानूनी माना गया है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

- इस कानून के लागू होने पर सभी बंधुआ मजदूर स्वतंत्र एवं मुक्त घोषित किये गये हैं। वे सभी ऐसे कार्यों से मुक्त हैं जिनके लिए उन्हें बंधुआ मजदूर रखा गया था।
- वे उन सभी परंपराओं, ऋण/कर्जे, अग्रिम भुगतान के पालन/अदायगी से भी मुक्त हैं जिनके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था।
- बंधुआ मजदूरी से संबंधित लंबित सारे मुकदमों से भी उन श्रमिकों को मुक्त घोषित किया गया। ऐसा कोई भी समझौता/करार/अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति से बंधुआ/जबरिया मजदूरी करवाता हो। ऐसा करने पर जमींदार/ठेकेदार को अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और रूपये 2000/– तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त वर्णित में से या अन्य किसी कारण से, बंधुआ मजदूरी के जाल में फँस गया हो तो उसे मुक्त कराना, उनके नियोजकों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है।

शिकायत

बंधुआ मजदूर होने की जानकारी होने पर तत्काल संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में शिकायत की जाना चाहिए, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से अपने शोषण, नियोजन, मजदूरी आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाए। यथासंभव समूह में शिकायत करें तथा जान जाने की आशंका हो तो पुलिस को शिकायत करें। अपने परिजनों एवं मित्रों को भी इस संबंध में अवगत करावें।

बेहतर होगा कि संगठित होकर शिकायत करें।

जिम्मेदारी

ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बंधक मजदूर प्रकरण की जांच कर पीड़ित श्रमिकों की तत्काल मुक्ति की व्यवस्था करेगा। ऐसे समस्त मुक्त कराये गये श्रमिकों को विमुक्ति/रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे तथा कार्य स्थल से मूल निवास स्थान तक यात्रा की व्यवस्था की जावेगी और पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत कोई बंधुआ मजदूरी करने की मजबूरी से स्वजतंत्र और मुक्त किए गए किसी भी व्यअक्ति को उसके घर या अन्य आवासीय परिसर जिसमें वह रह रहा/रही हो, बेदखल नहीं किया जाएगा।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई व्यिक्ति यदि किसी को बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करता है तो उसे कारावास और जुर्माने का दण्ड भुगतना होगा। इसी प्रकार, यदि कोई बंधुआ ऋण अग्रिम में देता है, वह भी दण्ड का भागी होगा।

सरकार की जिम्मेदारी

- राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेनट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है और ऐसे कर्तव्यइ अधिरोपित कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन हो।
- इस प्रकार प्राधिकृत ज़िला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी, ऐसे बंधुआ मजदूरों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संरक्षण करके मुक्तर हुए बंधुआ मजदूरों के कल्यारण का संवर्धन करेंगे।
- प्रत्येक राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपमण्डरल में सतर्कता समितियां, जिनहें वह उपयुक्तर समझे, गठित करेगी।
- प्रत्येक सतर्कता समिति के कार्य इस प्रकार है –

  - ➢ इस अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए किसी नियम का उपयुक्त ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों और कार्रवाई के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सलाह देना;
  - ➢ मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्थाल करना;
  - ➢ मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को पर्याप्तर ऋण सुविधा उपलब्धअ कराने की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के कार्य को समन्वित कोशिश करना;
  - ➢ उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के तहत किया गया है;
  - ➢ एक सर्वेक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या् इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है;

मुक्त बंधुआ श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना

भारत सरकार द्वारा पूर्व योजना को संशोधित करते हुए दिनांक 17 मई 2016 से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु नवीन योजना लागू की है जिसके मुख्य्‍ प्रावधान निम्नानुसार हैं –

- योजना के अंतर्गत अब सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।

- केंद्र सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
- सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर खड़े व्यक्ति जैसे दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर को तीन लाख रुपये मिलेंगे।
- वहीं इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं एवं नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपये मिलेंगे।
- इस नई योजना के तहत एक निश्च्ति रकम को एक वार्षिकी खाते में रखा जाएगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा। शेष रकम सीधे हितग्राही को दी जायेगी जिससे कि वह अपने जीविका के लिए कोई स्थातयी साधन निर्मित कर सके।
- इस नई योजना की विशेषता यह है कि इसके जरिए किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति, बालश्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में करवाई जाने वाली बेगारी और बंधुआ मजदूरी को भी सम्मिलित किया गया है।
- घोर अमानवीय एवं गैर कानूनी कार्यों (जैसे वेश्यावृत्ति, बूचढ़ खाना, मसाज पार्लर, नशीले पदार्थो की तस्करी आदि तथा ऐसे अन्य कार्य जो कि जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में उचित समझे) में लगाये गये बंधुआ अथवा बलात मजदूरों की विमुक्ति पर उन्हें रूपये तीन लाख की राशि पुनर्वास हेतु प्रदान की जावेगी।

इन लाभों के अतिरिक्त मूल योजना के अनुसार शासन की किसी कल्याणकारी योजना में भी पात्रतानुसार लाभ भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ववत प्रदान किये जावेंगे। जैसे –

- शासन की कल्याणकारी योजनाओं में पात्रतानुसार विमुक्त बंधक मजदूर व परिवार के सदस्यों को लाभ देना।
- आवासीय भूमि एवं कृषि भूमि का आवंटन
- भूमि विकास
- पशुपालन एवं दूध डेरी, मुर्गी पालन आदि
- रोजगार के अवसर तथा न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाना
- वनोपज का संग्रहण एवं प्रोसेसिंग
- बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था
- आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रकरण के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट/संबंधित विभाग द्वारा बनाकर भेजे जायेंगे।

व्यवस्था को बदलने की पहल

बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ व्यवस्था में बदलाव हो। अपने गांवध्बस्तीध्समुदाय में श्रम और शमिकों से सम्बंधित कानून पर जागरूकता/लोक शिक्षण के कार्यक्रम किये जाने चाहिए। हमारे यहाँ इससे सम्बंधित बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किन्तु जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक उनका होना बेमानी है।

जब भी मजदूरी के लिए किसी अन्य राज्य की तरफ जाएँ तो स्थानीय पंचायत/नगरीय निकाय और श्रम कार्यालय को सूचित करके जाएँ।

यह जरूरी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानूनध्योजना, वन अधिकार कानून, कृ षि विकास–सहायता की योजनाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का श्रेष्ठ क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है।

इस क़ानून के बारे में आपने पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की मैदानी/प्रायोगिक कार्य पुस्तिका बच्चों के अधिकार-क़ानून, योजनाएं और व्यवस्थाएं में भी पढ़ा होगा. इस वर्ष इसे हमें श्रमिकों के व्यापक अधिकारों के नज़रिए से हमें इसे समझने और पहल करने की जरूरत है.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उद्योगों में श्रमिकों एवं मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण सहज संबंधों को बनाये रखने एवं औद्योगिक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया है। यह कानून सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं कारखानों पर प्रभावशील है, जिनमें एक या अधिक श्रमिक नियोजित हो। अतः श्रमिक संख्या का कोई बंधन नहीं है और इस कारण एक भी श्रमिक नियोजित होने पर उन्हें सामाजिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है।

औद्योगिक विवाद से आशय – मालिक एवं मालिक, मालिक एवं श्रमिक अथवा श्रमिक एवं श्रमिकों के मध्य पैदा हुए किसी विवाद को औद्योगिक विवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

उद्योग की परिभाषा – इस कानून में उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत सभी प्रकार के उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, हस्तशिल्प एवं औद्योगिक व्यवसाय तथा सेवाएं सम्मिलित हैं।

कानून के अन्तर्गत अधिकार – इस कानून के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा संचालित उपक्रम जैसे रेलवे, बैंक, बीमा कम्पनियां, खदाने, तेल क्षेत्र, बन्दरगाह, हवाई अड्डे जैसी संस्थानों हेतु केन्द्र सरकार का क्षेत्राधिकार होता है तथा उक्त संस्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में क्षेत्राधिकार राज्य सरकार का होता है। सेवा समाप्ति अथवा अन्य किसी विवाद के होने पर कोई भी श्रमिक अथवा कर्मचारी इस कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु श्रम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

जिस व्यक्ति ने एक कैलेण्डर वर्ष के अनुसार 240 दिन काम किया है, वह इस अधिनियम के तहत संरक्षण पाने का हकदार है।

कानून के मुख्य प्रावधान

1. इस कानून के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का निराकरण दोनों पक्षों के मध्य समझौता बैठकें आयोजित कर किये जाने का प्रयास किया जाता है। विवादों में मुख्य रूप से नौकरी से निकाला जाना, छंटनी की जाना, उद्योग का बंदीकरण, क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना, ले–ऑफ तथा अनुचित श्रम व्यवहार अपनाने जैसे प्रमुख मुद्दे सम्मिलित हैं। समझौता बैठकों में दोनों पक्षों के मध्य सुलह नहीं होने की स्थिति में प्रकरण श्रम न्यायालय को निर्णय हेतु संदर्भित (रेफर) किया जाता है।

2. यदि समझौता बैठकों में 45 दिन की अवधि में दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो श्रमिक सीधे श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है।

3. यदि किसी श्रमिक को सेवा में पुनःस्थापित करने के लिए श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है तो उसके विरूद्ध नियोजक उच्च न्यायालय या सर्वोच्चं न्यायालय में जा सकता है। ऐसे में यदि श्रमिक द्वारा कहीं ओर कार्य नहीं करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अंतिम प्राप्त वेतन के रूप में निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. मालिक के नियंत्रण के बाहर वाली स्थितियों के कारण यदि किसी स्थापना अथवा कारखाने को कुछ समय के लिए उत्पादन बंद करने की आवश्यककता होती है तो इन स्थितियों में वह 60 दिन पूर्व आवेदन देकर शासन से अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा। इस अवधि के लिए श्रमिकों को ले—ऑफ (बैठे दिनों का आधा वेतन पाने) की पात्रता होगी। किन्तु ले—ऑफ के दिनों की संख्या 12 महीनों में 45 दिन से अधिक नहीं होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौसमी कारखानों अथवा स्थापनाओं में ले—ऑफ का प्रावधान नहीं है तथा वैकल्पिक नियोजन (यानी कोई दूसरा काम दे दिए जाने की स्थिति में) प्रदान करने की अथवा प्राप्त करने की स्थिति में भी ले—ऑफ की पात्रता नहीं होगी।

5. किसी उद्योग में तीन सौ श्रमिक से अधिक संख्या वाले संस्थान हेतु छंटनी के लिए तीन माह की लिखित सूचना 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसे में प्रस्तावित श्रमिकों को मुआवजे का नियमानुसार भुगतान किया जाना भी आवश्यक है। 300 से कम श्रमिक संख्या होने पर उनके मालिकों हेतु छंटनी या बंदीकरण के प्रकरण में पूर्व अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता नये संशोधन के अनुसार अब आवश्यक नहीं है। सरकार से अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में श्रमिकों को 3 माह की सूचना या वेतन, ग्रेच्युटी तथा प्रत्येक वर्ष या छः माह से अधिक अवधि की निरंतर सेवा हेतु 15 दिन के औसत वेतन के बराबर राशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

इस कानून का मकसद राज्य में अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित दुकानों, स्थापनाओं, छविगृहों, होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट एवं मनोरंजन स्थलों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाशर्तों एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए उनके कार्य के घंटे, साप्ताहिक अवकाश एवं उनके हित में अन्य कल्याणकारी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना है।

कानून के मुख्य प्रावधान

1. हर एक दुकान एवं स्थापना के लिए कानून के अन्तर्गत पंजीयन कराना आवश्यक है। नयी व्यवस्था के अनुसार अब नियोजक ऑफ लाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसा आवेदन कारोबार प्रारंभ करने के 30 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होता है। सभी दुकान एवं स्थापनाओं हेतु पंजीयन आवश्यक है। चाहे उनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या श्न्य ही क्यों न हो। इस कानून के अन्तर्गत श्रमिक संख्या के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। दुकान के मालिक द्वारा कानों के अनुसार आवेदन करने पर वर्तमान में एक बार में 5 वर्ष की अवधि हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा 5 वर्ष की अवधि हेतु ही नवीनीकरण किया जाता है। पंजीयन प्रमाण पत्र में स्थापना के कारोबार का स्वरूप में एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या का उल्लेख होता है।

2. प्रत्येक स्थापना को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का प्रावधान है किन्तु इस प्रावधान से रेस्टोंरेट, होटल, छविगृहों एवं मनोरंजन स्थल मुक्त रखे गये हैं किन्तु इनमें कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को सप्ताहिक अवकाश प्रदान करना आवश्यहक है।

3. प्रत्येक स्थापना निर्धारित समयावधि में; जो कि दुकान एवं स्थापना हेतु प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक है तथा रेस्टोंरेंट हेतु प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 1.30 बजे तक है, बंद रखना आवश्यकक है।

4. किसी भी कर्मचारी से सामान्यतः सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जावेगा किन्तु अधिक कार्य लेने पर उसे दोगुनी दर से अधिक समय कार्य का भुगतान करना आवश्यक है। अधिक समय कार्य के घंटे वर्तमान में 06 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं होंगे। यदि कोई कर्मचारी (स्प्रेड आवर) टुकड़ों में कार्य करता है तो कार्य का फैलाव 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।

5. प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में 14 दिन आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिन का अर्जित अवकाश लेने की पात्रता का प्रावधान है। कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं करने की स्थिति में वह अधिकतम 90 दिवस का अर्जित अवकाश खाते में संग्रहित कर सकता है। ऐसे अवकाश का नगदीकरण संबंधित कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने अथवा नौकरी छोड़ने पर प्राप्त कर सकेगा।

6. सेवा समाप्ति की स्थिति में कोई भी कर्मचारी अपीलीय अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

7. इस विधान के अन्तर्गत महिलाओं से सामान्यतः रात्रि 7.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक कार्य लिया जाना प्रतिबंधित है किन्तु विशेष प्रकार के कार्यों हेतु शासन द्वारा इसमें सशर्त छूट प्रदान की जा सकती है। जैसे वर्तमान में सूचना प्रोद्योगिकी उद्योग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों हेतु प्रदान की गयी है।

8. स्थापना में नियोजित कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नियोजक निर्धारित अंतराल पर साफ–सफाई, लिपाई पुताई, रंग रोगन कराते हुए आग से बचाव हेतु समुचित उपाय करेगा तथा खुली हवा का प्रवाह स्थापना में सुनिश्चत करेगा।

9. किसी भी स्थापना में बाल श्रमिक अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है।

10. इस कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 50 रूपये और अधिकतम 1500 रूपये तक अर्थदण्ड के प्रावधान है।

नियोजित कर्मचारियों को यह जानना आवश्यैक है कि स्थानीय श्रम कार्यालय में उल्लंघनकर्ता मालिकों के विरूद्ध शिकायत की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षक द्वारा इसकी जांच कर नियोजक के विरूद्ध आवश्यतक वैधानिक कार्यवाही की जाती है तथा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू किया जाता है।

1. यह अधिनियम उन संस्थानों पर लागू होता है जहां 20 या अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों।
2. रू. 15 हजार प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस अधिनियम की सीमा में आते हैं।

अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय भविष्य निधि में श्रमिक के वेतन का 12 प्रतिशत एवं नियोजक को भी 12 प्रतिशत का अंशदान जमा करना होता है।

उक्त अंशदान के आधार पर श्रमिक निम्न लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं –

1. सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का भुगतान तथा निर्धारित पेंशन का भुगतान।
2. मृत्यु पर परिवार को भविष्य निधि व पेंशन के भुगतान के अतिरिक्त निर्धारित बीमा राशि का भुगतान।
3. समय–समय पर आवश्यकता होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, मरम्मत, प्लाट खरीदने, आदि हेतु आंशिक भुगतान।

प्रत्येक श्रमिक एवं नियोजक का केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पंजीयन किया जाता है तथा उनके अंशदान का ऑन लाइन रिकार्ड संधारित किया जाता है।

नियोजक परिवर्तन होने पर भी पंजीयन यथावत रहता हैय यानी यदि कोई व्यक्ति एक संस्थान से नौकरी/काम छोड़ देता है और किसी अन्य संस्थान में काम करने लगता है, तो उसे अपना भविष्य निधि खाता बंद करने या बदलने की जरूरत नहीं होती है।

शिकायत दर्ज होना और सजा

यदि किसी नियोजक द्वारा उक्त सुविधा नहीं दी जा रही है अथवा स्वयं व श्रमिक का अंशदान काटकर निधि में जमा नहीं कराया जा रहा है तो इसकी शिकायत संभागीय मुख्यालयों पर स्थित केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों में की जा सकती है।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा 25 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकते हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, सबसे पहले वर्ष 1881 में लागू हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ–साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1 अप्रैल 1949 से प्रभावशील हुआ। 2–3 दिसम्बर, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

कारखाना अधिनियम, 1948 का उददेश्य मुख्यतः कारखानों में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं का होना सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर कर्मकारों को व्यवसायजन्य खतरों से बचाने के लिये व्यवस्थाएं व सावधानियां बनाये रखना व कर्मकारों को अत्यधिक कार्य घंटो के दबाव से संरक्षित करना है। इसी मकसद से कानून में में व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

प्रभावशीलता

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता हैं –

1) ऐसे कारखाने, जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है –

(1) आरा मशीन

(2) चावल मिल

(3) तेल मिल

(4) स्लेट पेन्सिल उद्योग

(5) दाल मिल

(6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारख़ाने जहां खतरनाक रसायन, अति ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ऐसे पदार्थ पैदा होते हों

(7) एस्बेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने

(8) चूना भट्टे

(9) स्टोन क्रशर एवं पल्वराइजर

महत्वपूर्ण परिभाषायें

(1) **कर्मकार** – ऐसा व्यक्ति जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या मशीनरी अथवा प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाये जाने वाले परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय–वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम में चाहे सीधे या मुख्य नियोजक की जानकारी से या उसके बिना किसी एजेंसी के जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी है, के व्दारा चाहे पारिश्रमिक पर उसके बिना नियोजित हो।

(2) **प्रबंधक से तात्पर्य** – ऐसे व्यक्ति से है, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के हेतु कारखानों को चलाने के लिए अधिभोगी के प्रति उत्तरदायी हो।

(3) **व्यस्क से तात्पर्य** – ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है।

(4) **कुमार से अभिप्राय** – ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु अपना अठारहवां वर्ष पूरा नही किया है।

(5) **बालक का अभिप्राय** – ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा नही किया है।

(6) खतरनाक पदार्थ से तात्पर्य – कोई पदार्थ अथवा निर्मित पदार्थ, जो उसके रासायनिक अथवा भौतिक रासायनिक गुणों अथवा संभाल के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणी, पौधों, जीवाणु, सम्पत्ति अथवा पर्यावरण को हानि कारित करने के लिये दायी हो।

मुख्य प्रावधान

- कारखानों का पंजीकरण मुख्य कारखाना निरीक्षक व्दारा समुचित आवेदन प्राप्त होने पर किया जाता है।
- प्रत्येक कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित किया जाता है। जैसे –
- यंत्रों के खतरनाक भागों पर सुरक्षित रूप से बाड़ लगाना।
- किसी महिला या बालक को गतिशील यंत्र के किसी भाग को साफ करने, चिकनाई करने अनुमति नही दी जावेगी।
- खतरनाक मशीन पर अप्रशिक्षित किशोर को काम पर नहीं लगाया जावेगा।
- कोई महिला या किशोर बिना दूसरे व्यक्ति की सहायता से निर्धारित सीमा से अधिक भार नही उठायेगा।
- आँखों की सुरक्षा के लिये यथोचित चश्में उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक कारखाने मे आग लगने की स्थिति मे यथोचित बचाव के साधनों की व्यवस्था की जाना।
- प्रत्येक कारखानें पर साफ एवं किसी नाली आदि से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध से मुक्त रखा जाना।
- कारखाने के प्रत्येक कमरे मे पर्याप्त हवा की आवाजाही (वेन्टीलेशन) तथा उचित व आरामदायक तापमान की व्यवस्था।
- प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न धूल एवं धुऐं के उचित निष्कासन की व्यवस्था की जायेगी।
- पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था।
- स्वच्छ पीने के जल की व्यवस्था।
- पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था।
- आवश्यकतानुसार बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।
- प्रत्येक कारखाने मे प्राथमिक उपचार पेटी रखी जावेगी।
- कारखाने में नियोजित कर्मकारों की संख्या नियमानुसार निर्धारित संख्या से अधिक होने पर कारखाने मे केन्टीन, आश्रय, विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जावेगी।

- कारखाने में स्त्री कर्मकारों की संख्या तीस से अधिक होने पर शिशु कक्ष (झूला घर) की व्यवस्था की जावेगी ।
- किसी सप्ताह मे अधिकतम 48 घंटे से अधिक काम नही लिया जायेगा।
- किसी दिन 9 घंटे से अधिक काम नही लिया जायेगा।
- कोई कर्मकार किसी कारखाने में किसी दिन 9 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिये काम करता है तो वह ओव्हर टाईम काम करने के लिये अपनी मजदूरी की सामान्य दर से दुगनी दर की मजदूरी का हकदार होगा।
- कोई बालक जिसने अपनी उम्र का चौदहवां वर्ष पूरा नही किया है, किसी कारखाने में काम करने के लिये नही लगाया जायेगा।
- प्रत्येक कर्मकार को जिसने किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 180 या अधिक दिन की कालावधि के लिये काम किया है, उसे उसी कैलेण्डर वर्ष में मजदूरी सहित प्रत्येक 20 दिन पर 1 दिन की छुट्टी की अनुज्ञा होगी।

सजा का प्रावधान

अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के उल्लघंन फलस्वरूप कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक या दोनों को दो वर्ष तक कारावास या एक लाख रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

> इस क़ानून के बारे में आपने पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की मैदानी/प्रायोगिक कार्य पुस्तिका बच्चों के अधिकार-क़ानून, योजनाएं और व्यवस्थाएं में भी पढ़ा होगा. इस वर्ष इसे हमें श्रमिकों के व्यापक अधिकारों के नज़रिए से हमें इसे समझने और पहल करने की जरूरत है.

राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। (भारत का संविधान, भाग–4, अनुच्छेद–38–1);

राज्य विशिष्टतया, आय की असम्नाताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। (भारत का संविधान, भाग–4, अनुच्छेद–38–2);

पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। (भारत का संविधान दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दृ राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। (भारत का संविधान, भाग–4, अनुच्छेद–42);, भाग–4, अनुच्छेद–39–ङ);

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार – राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पानेके, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढापा, बीमारी और निह्शाक्ता तथा अन्य अनर्ह अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। (भारत का संविधान, भाग–4, अनुच्छेद–41);

काम की न्यायसंगत और मानवोचित

अपने संविधान में लिखे गए इन प्रावधानों को पढ़िए। यह और भी जरूरी है कि इन प्रावधानों को बार–बार पढ़ा जाए। कुल मिलाकर ये संवैधानिक प्रावधान हमें बताते हैं कि श्रमिकों, मजदूरों और कामकाजी लोगों समेत समाज के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बने। यदि मजदूरों–श्रमिकों–कामगारों का जीवन दु:ख, पीड़ा और समस्याओं से भरा होगा, तो समाज में शान्ति और विकास न हो पायेगा।

ऐसे में श्रमिकों/मजदूरों/कामगारों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को हमें संविधान के ताने–बाने के तहत देखना और लागू करवाना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जरूरत

हम यह जानते हैं कि 100 में से 90 मजदूर और कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब है खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, गृह उद्योग में काम करने वाले कामगार, बहुत छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग, ऐसे लोग जो अकेले भी काम करते हैं। इन में मछुआरे भी शामिल हैं और हस्तशिल्प–हथकरघा का काम करने वाले भी। इनमें दूसरों के घरों में जाकर काम करने वाली महिलायें भी हैं।

इन मजदूरों/कामगारों के जीवन में काम की कोई सुनिश्चितता नहीं होती है। कभी काम मिल जाता है, तो कभी भी उन्हें काम से बिना किसी सहायता से निकाल दिया जाता है। महिलाओं को मातृत्व हक नहीं मिल पाते हैं। ऐसे मजदूरों–कामगारों को शायद जीवन भर काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोई जमापूंजी नहीं होती है और इन्हें सेवानिवृत्ति के कोई लाभ नहीं मिलते हैं। बीमार पड़ जाने पर केवल एक व्यक्ति के सामने संकट पैदा नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार पर संकट आ जाता है। इनका बार–बार शोषण होता है और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि 100 में से 90 मजदूर–कामगार ऐसी स्थिति में होते हैं। हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि देश के निर्माण और विकास में इन कर्मकारों/कामगारों की की सबसे केन्द्रीय भूमिका है।

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून

समाज के इस तबके के लिए भारत में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 लागू किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कर्मकार/मजदूर/कामगार का मतलब

इस कानून के अनुसार असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि ऐसा उद्यम या संस्थान जहाँ व्यक्ति या खुद के द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वामित्व में हो। एक रूप में वह संगठित उद्यम नहीं है।

इन उद्यमों में कर्मकारों की संख्या 10 से कम है।

उन्हें भी असंगठित कर्मकार माना जाता है जहाँ लोग गृह आधारित कामगार हैं, अकेले खुद का काम करते हैं या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं।

मजदूरी कर्मकार का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो किसी के द्वारा सीधे या किसी ठेकेदार के जरिये पारिश्रमिक/मजदूरी के साथ काम के लिए लगाए जाते हैं। जैसे यदि कहीं कोई भवन बन रहा है, तब ठेकेदार सीधे मजदूरों को काम पर लगाता है और मजदूरी का भुगतान करता है। मजदूर वहां तभी तक

काम करता है, जब तक कि उस भवन का निर्माण होगा या फिर जब तक ठेकेदार उसे काम पर रखना चाहेगा। उस मजदूर की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी।

इस परिभाषा में घर में होने वाले काम में लगाए जाने वाले मजदूर/कर्मकार भी शामिल होते हैं।

सामाजिक सुरक्षा लाभ का मतलब

इस कानून के मुताबिक हमारी सरकार (मुख्यतः केंद्र सरकार) –

1. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन के संरक्षण और उनकी योग्यता के विकास के लिए
2. उनके स्वास्थ्य और मातृत्व लाभध्हक के लिए
3. बुढ़ापे में संरक्षण के लिए
4. या कोई अन्य सामयिक जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के लिए योजनाएं और व्यवस्था बनाएगी।

यदि वर्तमान स्थिति में बात की जाए, तो कुछ योजनाएं इस कानून के दायरे में राखी जा चुकी हैं। जैसे– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जन श्री सुरक्षा योजना, हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, हस्तकला कलाकार व्यापक कल्याण योजना, मुख्य कलाकारों को पेंशन, मछुआरों के कल्याण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि। मातृत्व लाभ कानून, 1961 भी इससे जुड़ा हुआ है।

इनके अलावा राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए जरूरी कल्याण योजनाएं बनाएगी और लागू करेगी। योजना बनाने की प्रक्रिया में इनमें ये बिंदु शामिल हैं –

1. भविष्य निधि (ताकि जब वे आय अर्जन न कर सकें या न करना चाहें तब उनके पास एक सुरक्षित धनराशि उनके पास हो)
2. व्यवस्थित नियोजन उपहति लाभ (किसी विपत्ति या जरूरत या आघात से बचने के लिए)
3. अपना घर बनाने के लिए
4. बच्चों की शिक्षा के लिए
5. उनकी कुशलता और कौशल को बढ़ाने के लिए
6. अंत्येष्टि के लिए

7. वृद्धावस्था गृह चलाने के लिए

कानून के तहत बनायी गयी व्यवस्था

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में निम्न लोग होंगे –

1. श्रम मंत्री– पदेन अध्यक्ष
2. महानिदेशक, श्रमिक कल्याण– पदेन सदस्य सचिव
3. केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित 34 सदस्य (असंगठित क्षेत्र के 7 प्रतिनिधि, असंगठित क्षेत्र के नियोजकों के 7 प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सात प्रतिनिधि, लोकसभा के दो सदस्य, राज्य सभा के एक सदस्य, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के 5 प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि) बोर्ड की अवधि तीन साल होगी। हर साल इसकी तीन बैठकें होंगी।

यह बोर्ड मुख्य रूप से निम्न काम करेगा–

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारोंध्कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना की सिफारिश करना
2. इस कानून के क्रियान्वयन से सम्बंधित सलाह देना
3. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना
4. असंगठित कर्मकारों को परिचय पत्र जारी करना और उनके पंजीयन को प्रभावी बनाना
5. राज्य स्तर की जानकारियों का संज्ञान लेना
6. योजनाओं के लिए उपलब्ध कोष का पुनर्विलोकन करना
7. अन्य जरूरी कार्य

राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार असंगठित कर्मकारों के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में निम्न लोग होंगे –

1. राज्य के श्रम मंत्री – पदेन अध्यक्ष

2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग – पदेन सदस्य सचिव

3. राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य (असंगठित क्षेत्र के 7 प्रतिनिधि, असंगठित क्षेत्र के नियोजकों के 7 प्रतिनिधि, नागरिक समाज के पांच प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा के दो सदस्य, संबद्ध राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सात प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के 5 प्रतिनिधि)

बोर्ड की अवधि तीन साल होगी। हर साल इसकी तीन बैठकें होंगी।

यह बोर्ड मुख्य रूप से निम्न काम करेगा –

1. राज्य सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारोंध्कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना की सिफारिश करना।
2. राज्य सरकार को इस कानून के क्रियान्वयन से सम्बंधित सलाह देना।
3. सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना।
4. असंगठित कर्मकारों को परिचय पत्र जारी करना और उनके पंजीयन को प्रभावी बनाना।
5. जिला स्तर की जानकारियों का संज्ञान लेना।
6. योजनाओं के लिए उपलब्ध कोष का पुनर्विलोकन करना।
7. अन्य जरूरी कार्य।

कर्मचारी सुविधा केंद्र

राज्य सरकार निम्न कामों के लिए समय समय पर ऐसे कर्चारी केन्द्रों की स्थापना अक्रेगी, जिन्हें वह जरूरी माने –

1. असंगठित कर्मकारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्बंधित सूचनाओं की प्रसार करना।
2. असंगठित कामगारों–कर्मकारों का पंजीयन और पहचान पत्र जारी करना।
3. पंजीयन कराने और पहचान पत्र पाने में कर्मकारों की सहायता करना।
4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के नामांकन को सारा बनाना।

असंगठित कर्मकारों/मजदूरों/कामगारों का पंजीयन

1. पंजीयन उनका होगा, जिसमें 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

2. जो घोषणा करेगा कि वह असंगठित कर्मचारी/कामगार है।

3. पंजीयन के फार्म जिला प्रशासनध्स्थानीय निकाय को जमा किया जाएगा।

4. जिला प्रशासन–स्थानीय निकाय उनका पंजीयन करके, पहचान पत्र जारी करेगा।

कर्मचारी प्रतिकार (या कामगार क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 1923

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का मकसद है कि यदि रोजगार या काम के दौरान या इससे जुड़े किसी कारण से श्रमिकों, कामगारों और कर्मचारियों को किसी दुर्घटना में चोट लगती है, विकलांगता होती है या उनकी मृत्यु हो जाती है; तो उन्हें या उनके आश्रितों/परिजनों को क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिले। यह उनका कानूनी अधिकार है।

या कानून रेल कमर्चारियों, कारखानों, खदानों, मशीन से चलने वाले वाहनों, निर्माण स्थलों/निर्माण कार्यों और खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों, कामगारों और कर्मचारियों के लिए भी है।

श्रमिकों, कामगारों और कर्मचारियों को कितना मुआवजा या क्षतिपूर्ति मिलेगी या दो मानकों पर निर्बह्न है – चोट/नुकसान का स्वरुप क्या है? और कामगार की औसत मासिक मजदूरी एवं उम्र क्या है?

इस कानून के अनुसार आश्रित का मतलब है – विधवा (पत्नी), विधुर (पति), अवयस्क संतानें (गोद ली हुई या दत्तक संतान भी), विधवा माता, माता–पिता, विधवा पुत्रवधु, पुत्र की संतान, भाई–बहन, विधवा या अविवाहित बहन, दादा–दादी आदि।

क्षतिपूर्ति का भुगतान की जिम्मेदारी किसकी?

कानून के मुताबिक नियोक्ता (यानी वह व्यक्ति या संस्थान जिसनें रोजगार दिया है) की यह जिम्मेदारी और बाध्यता है कि वह श्रमिकों, कामगारों और कर्मचारियों को चोट, विकलांगता या मृत्यु का मुआवजा/क्षतिपूर्ति दे।

नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि यदि कामगार को रोजगार के कारण और उसके दौरान हुई दुर्घटना से व्यतक्तिगत चोट लगी हो या यदि किसी रोजगार में लगे कामगार के अधिनियम में दर्ज उसी रोजगार के लिए विशेष व्यागवसायिक बीमारी के रूप में कोई बीमारी हो गई होय तब क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

कब क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती है?

कुछ ऐसे मामले हैं जब नियोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करना होगा; जैसे यदि चोट के परिणामस्वारूप कामगार को हुई सम्पूर्ण या आंशिक विकलांगता तीन दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं होती।

यदि चोट जिसके कारण मृत्यु या स्थायी सम्पूर्ण विकलांगता नहीं होती, का कारण ऐसी दुर्घटना हो जो इस वजह से हुई हो : – (I) कामगार पर दुर्घटना के समय शराब या नशीले पदार्थों का असर अथवा (II) कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ स्पष्ट् रूप से दिए गए आदेश या स्पष्ट रूप से बनाए गए नियम का जानबूझ कर उल्लंघन अथवा (III) कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ मुहैया कराए गए किसी सुरक्षा कवच या उपकरण को कामगार द्वारा जानबूझकर हटा दिया जाना या अनदेखी करना।

कर्मचारियों को मुआवजा

कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारियों को अनेक परिस्थितियों में मुआवजा पाने का अधिकार है। जैसे –

- कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना में चोटिल होने पर मुआवजा पाने का अधिकार।
- काम पर आते या काम से घर जाते समय दुर्घटना होने पर भी कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार।
- नियोक्ता का काम करने के दौरान दुर्घटना होने पर भी मुआवजा पाने का अधिकार।
- काम की प्रकृति की वजह से अगर कर्मचारी को कोई बीमारी लगती है तो कर्मचारी को मुआवजा पाने का अधिकार है।
- लेकिन अगर बीमारी काम छोड़ने के दो साल बाद लगती है तो कर्मचारी को मुआवजे का अधिकार नहीं है।
- अगर दुर्घटना या बीमारी से कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित संबंधी को मुआवजा दिया जायेगा।

मुआवजे किन–किन क्षेत्रों में मिल सकेगा?

- फैक्ट्रियां, खानें, रेलवे, डाक, तार, निर्माण, इमारतों का रख–रखाव।
- किसी इमारत में इस्तेमाल, परिवहन तथा बिक्री के लिए सामान रखना, जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी हों।
- टैक्टर अथवा अन्य मशीनों से खेती–बाड़ी, इसमें मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म आदि शामिल हैं।
- बिजली की फिटिंग के रख–रखाव का काम।

किस चोट पर मुआवजा मिलेगा?

- ऐसी चोट जिससे मौत हो जाए, शरीर का कोई अंग कट जाए या आंख की रोशनी चली जाय आदि।
- चोट की वजह से लकवा या अंग–भंग जैसी हालत हो जाए, जिसकी वजह से व्यक्ति रोजी–रोटी कमाने लायक नहीं रहे।
- ऐसी चोट जिसकी वजह से कर्मचारी कम से कम तीन दिन तक काम करने के लायक ना रहे।

किस चोट पर मुआवजा नहीं?

- शराब पीने या नशीली चीजों के सेवन से दुर्घटना हुई हो।
- कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने किसी नियम या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करने से हुई दुर्घटना।
- कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपकरणों का जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करने से हुई दुर्घटना।
- मुआवजे लिए कौन कौन से प्रमाण चाहिए होंगे?
- कर्मचारी को सबसे पहले अपनी मेडिकल जांच करा लेनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखें।
- कर्मचारी दुर्घटना की रिपोर्ट नजदीकी थाने में लिखवा देना चाहिए। रिपोर्ट में चोट का पूरा ब्योरा होना चाहिए।
- दुर्घटना के चश्मदीद गवाह होने चाहिए।

महिला कामगारों, श्रमिकों, कर्मचारियों को विशेष अधिकार

- फैक्ट्रियों में महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष होना चाहिए।
- अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हों तो वहां बच्चों के लिए शिशुगृह की व्यवस्था होनी चाहिए।
- फैक्ट्री में काम सवेरे 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच होना चाहिए।
- मशीन में तेल डालने या साफ कराने का काम नहीं कराया जाना चाहिए ।
- एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए।
- लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाना चाहिए।
- खदानों में जमीन के नीचे काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

महिलाओं का मातृत्व लाभ

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष हक दिए गए हैं।
- प्रसव के पहले और बाद में छह–छह सप्ताह का पूरे वेतन का अवकाश (12 सप्ताह का अवकाश प्रसव के बाद भी लिया जा सकता है, इस अवधि का वेतन दे दिया जाना चाहिए)।
- गर्भस्राव हो जाने पर छह सप्ताह का अवकाश।
- गर्भावस्था, प्रसव या गर्भस्राव की वजह से अस्वस्थ हो जाने पर वेतन सहित एक महीने का अतिरिक्त अवकाश।
- अगर नियोक्ता के संस्थान में प्रसव से पहले तथा प्रसव के बाद की चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं तो चिकित्सा बोनस दिया जाना चाहिए।
- शिशु के 15 महीने का होने तक रोजाना काम के बीच सामान्य अवकाश के अलावा, शिशु को स्तनपान कराने के लिए दो बार ब्रेक दिया जाना चाहिए।
- गर्भावस्था के अंतिम महीने में महिला कर्मचारी से भारी काम नहीं कराया जाना चाहिए ।
- अगर महिला की प्रसव के बाद मौत हो जाती है तो नियोक्ता को उसके परिवार को 6 सप्ताह का वेतन देना होगा।
- जबकि नवजात शिशु की मौत हो जाने पर, शिशु की मृत्यु हो जाने तक की अवधि तक का ही वेतन देना होगा।
- जिस महिला ने प्रसव से पहले, पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन नियोक्ता के संस्थान में काम किया है, वहीं महिला इन लाभों को पाने की अधिकारी है।

गर्भावस्था का नोटिस

- महिला कर्मचारी को प्रसव की संभावित तिथि, छुट्टी लेने की संभावित तिथि और प्रसव के दौरान किसी दूसरी जगह नहीं करने के विवरणों के साथ गर्भावस्था का नोटिस देना चाहिए।
- यह नोटिस प्रसव के बाद भी दिया जा सकता है।
- अगर किसी महिला ने गर्भावस्था का नोटिस नहीं दिया है तो इस आधार पर नियोक्ता उसे मातृत्व से जुड़े लाभ और सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता है।

मुआवजे की दावा प्रक्रिया क्या होगी ?

- दुर्घटना होने पर सबसे पहले नियोक्ता को नोटिस दें, नोटिस में कर्मचारी का नाम, चोट के कारण, तारीख और स्थान लिखें।

- अगर नियोक्ता मुआवजा नहीं देता या पर्याप्त मुआवजा नहीं देता है तो कर्मचारी श्रम आयुक्त को आवेदन दे।
- आवेदन में कर्मचारी का पेशा, चोट की प्रकृति, चोट की तारीख, स्थान, नियोक्ता का नाम, पता नियोक्ता को नोटिस देने की तिथि, अगर नियोक्ता को नोटिस नहीं भेजा हो तो नोटिस नहीं भेजने का कारण का उल्लेख करें।
- यह आवेदन दुर्घटना होने के 2 साल के अंदर दे दिया जाना चाहिए। विशेष हालात में 2 साल के बाद भी आवेदन किया जा सकता है।
- कुछ मामलों में मुआवजा श्रम आयुक्त के जरिये ही दिया जा सकता है। जैसे– कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके संबंधियों को श्रम आयुक्त के माध्यम से ही मुआवजा दिया जा सकता है।

शिकायतों का निपटारा कैसे होगा?

- अगर नियोक्ता कर्मचारी को उसके लाभ नहीं देता है तो वह श्रम कार्यालय अथवा श्रम आयुक्त के पास शिकायत कर सकता है।
- 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली फैक्ट्री तथा खान में और 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाले बागान में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है।
- केंद्र सरकार के अनेक कार्यालय, अस्पताल तथा अन्य कल्याण अधिकारी नियुक्त करते हैं। जहां कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं।

कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति

- यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अधिसूचना प्रकाशित करके कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त की नियुक्ति करे। यह आयुक्त जांच प्रक्रिया चलाने के लिए अधिकरण होते हैं।
- यदि किसी स्थिति में नियोक्ता दावा की गयी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करता है, तब क्षतिपूर्ति आयुक्त मामले की जांच का निपटारा करते हैं।

कर्मचारी प्रतिकार (कार्यवाही स्थल) नियमावली, 1996 के मुताबिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के द्वारा कर्मचारियों, श्रमिकों और कामगारों के हकों की रक्षा के किये लिए क्षतिपूर्ति दावों की जांच करवाई जायेगी। यह जांच उस क्षेत्र की आयुक्त की द्वारा की जायेगी, जहाँ दुर्घटना घटी या कर्मचारी या उसकी मृत्यु के मामले में प्रतिकर का दावा करने वाले आश्रित साधारणतया निवास करतें हैं, या जहाँ नियोजक का अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है।

भाग–एक के लिए मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रूपरेखा

कानून का नाम (आप जिस कानून पर अपना मैदानी कार्य केंद्रित कर रहे हैं, उसे चुन लें और उसके लिए अलग शीट बना लें। उसी कानून पर अपने मैदानी कार्य से सम्बंधित अगले तीनों कालम में लिखे गए बिंदुओं का विस्तार से जवाब दें।)	आपके मैदानी कार्य की शुरुआत में स्थिति क्या थी? (कितने लोग वंचित थे? कितने लोगों को जानकारी थी? आदि)	आपकी पहल का लाभ (आपकी पहल से कितने लोगों ने कानून के लाभ के लिए आवेदन किया? वास्तव में कितने लोगों/श्रमिकों को कानून या योजना का लाभ मिला? कितने लोगों तक जानकारी पंहुची? आदि)	इस कानून पर/के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे?
मजदूरी भुगतान अधिनियम, **1936**			
ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, **1970**			
अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, **1976**			
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, **1948**			
समान पारिश्रमिक अधिनियम, **1976**			

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016			
बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976			
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947			
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958			
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952			
कारखाना अधिनियम, 1948			
असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008			
कर्मचारी प्रतिकार (या कामगार क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 1923			

भाग – दो

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और मण्डल की योजनाएं

निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं

(सन्दर्भ– मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और उसकी योजनाएं)

1. देश और समाज के निर्माण के आधार– श्रम और श्रमिक

जब हम विकास को मापते हैं, तब सडकों, बड़ी–बड़ी इमारतों, अस्पताल और स्कूल के भवनों, बांधों का उदाहरण देकर विकास को साबित करते हैं। एक आम व्यक्ति के मकान से लेकर सार्वजनिक भवनों तक, सब कुछ विकास का आधार बनता है। जब किसी भी निर्माण की बात होती है, तब उसकी लागत के बारे में जानकारी दी जाती है। उस निर्माण की तकनीकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक बात अक्सर कहीं छिप जाती है कि उन भवनों को बनाया किसनें ? क्या केवल धन के आवंटन या बड़ी–बड़ी मशीनों के खड़े हो जाने से निर्माण का काम हो जाता है ? जी नहीं! निर्माण का काम श्रम करने वाले लोग करते हैं। हमारे समाज में शारीरिक श्रम को हमेशा कमतर ही आँका गया है। धन और मानसिक श्रम को इतनी तवज्जो दी गयी कि शारीरिक श्रम का उल्लेख ही नहीं होता है।

जरा सोचिए कि यदि मजदूर न होता, तो क्या सड़कों का निर्माण होता, क्या कुतुब मीनार या ताजमहल बनता, क्या भाखडा नंगल बाँध बनता, क्या गांव का तालाब या पंचायत या मंदिर और मस्जिद का भवन बन पाता? हो सकता है सरकार या समाज ने इनके निर्माण के लिए धन की व्यवस्था कर ली हो, पर योजना को जमीन पर उतारने का काम करने वाला तो मजदूर ही है न! वास्तव में देश और समाज के निर्माण में मजदूर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आवास के अधिकार से लेकर परिवहन की व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार और पुरातत्व महत्व की इमारतें बनाने तक में मजदूर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।

एक बार फिर से सोचिए अस्पताल और स्कूल की इमारत के बारे में या उस फिर अपने घर के बारे में, इन्हें किसने बनाया? हमें सोचना चाहिए कि यदि हमारे पास खूब सारे संसाधन हों पर मजदूर न हों, तो क्या निर्माण का काम हो जाएगा? यह भी सोचिए कि यदि आर्थिक संसाधन न हों, पर मजदूरों की ताकत और तैयारी हो, तो कौन सा निर्माण का काम रुक सकता है?

सामुदायिक नेतृत्व के इस पाठ्यक्रम में हम मजदूरों के हकों को सुरक्षित करने के लिए बने हुए कानूनों और योजनाओं के बारे में जानेंगे और मैदानी कार्य करेंगे। इस कार्य का मकसद केवल तकनीकी रूप से योजनाओं और कानून को लागू करवाने में मदद करना नहीं है, बड़ा मकसद तो यह है कि हम श्रम और श्रमिक की गरिमा और महत्व को समुदाय के बीच में स्थापित करें। जब आपको खुद यह विश्वास होगा कि श्रमिक या मजदूर एक दोयम दर्जे का या कम महत्व का व्यक्ति नहीं है, वह हमारे समाज के

बनाने में बहुत जरूरी योगदान देता है, तभी हम श्रमिक कानूनों और योजनाओं की संवेदनशीलता को महसूस कर पाएंगे।

मौजूदा स्थिति यह है कि भारत में श्रम का काम करने वालों का तबका "असंगठित क्षेत्र" की श्रेणी में आता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है जिस रोजगार और श्रम क्षेत्र में कार्यरत लोगों को रोजगार की पूरी सुनिश्चित सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा नहीं है, सेवानिवृत्ति का कोई अवसर नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को मातृत्व हक भी नहीं मिलते हैं। उन्हें कभी भी काम से निकाल दिया जाता है या हो सकता है कि उन्हें कई दिनों तक काम न मिले। इतना ही नहीं उन्हें कितना वेतन मिलेगा यह भी अक्सर तय नहीं होता है। परिणाम यह होता है कि वे हर रोज, हर कदम पर आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषण के शिकार होते रहते हैं।

2. पृष्ठभूमि

भारत में असंगठित क्षेत्र में लगभग 46 करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें से 14 करोड़ महिलाएं हैं। जब हम असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं, तब इसमें खेती में काम करने वाले मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामकाजी लोग, उद्योगों में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक शामिल होते हैं। यह भी एक तथ्य है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या (यानी कामकाजी लोग) में से 92 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्र में कुल श्रमशील जनसंख्या का 8 प्रतिशत हिस्सा ही शामिल है। सच्चाई यह है कि केवल 8 प्रतिशत श्रमिकों को ही नियमित रोजगार, अच्छी और मानवीय अनुकूल काम की स्थितियां और माहौल मिलता है। केवल संगठित क्षेत्र में ही श्रमिकों को अलग–अलग स्वरूपों में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

इसके दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, काम का अच्छा वातावरण और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है। वे बेहद दबाव और असुरक्षित वातावरण में काम करते हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य (वे श्रमिक जो इमारतें, अधोसंरचनात्मक ढांचे, सड़क, बाँध आदि के निर्माण के काम में श्रम करते हैं) में लगे श्रमिक, जिन्हें सामान्य बोलचाल में "निर्माण मजदूर" कहा जाता है, असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। निर्माण श्रमिकों के जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने, अस्थाई एवं अनियमित रोजगार, काम की अनिश्चित अवधि, बुनियादी तथा कल्याणकारी सुविधाओं के अभाव के कारण इनकी स्थिति बहुत कमजोर तथा दयनीय होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कोशिशें की गई हैं। एक अनुमान के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश में निर्माण श्रमिकों की संख्या लगभग 25 लाख है।

हालांकि निर्माण श्रमिकों के लिये एक सामान्य श्रमिक के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विभिन्न कानून पूर्व से प्रभावशील रहे हैं, फिर भी निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण तथा कुछ जरूरी सेवा–शर्तों को विनियमित करने के मकसद से एक व्यापक और प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता

महसूस की गयी। इस संबंध में राज्य के श्रम मंत्रियों के 41वें सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि निर्माण श्रमिकों के लिए विशिष्ट कार्यदशाएं, कल्याण तथा सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को विनियमित करने के लिए अलग से खास कानून बनाये जाएं। इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 1996 को अभिस्वीकृति दी गई। इस प्रकार निर्माण श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएँ, कार्य के दौरान सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में निम्न दो अधिनियम प्रभावशील किए गए –

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996,

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 श्रमिकों की कार्यदशा, कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में है।

1. यह देखा गया है कि निर्माण मजदूरों के अस्थायी एवं अनियमित रोजगार में होने के कारण कोई एक नियोक्ता (नियोक्ता वह होता है, जो किसी मजदूर को कामध्श्रम पर रखता है) विशेष उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसे में उक्त उत्तरदायित्व वहन किए जाने हेतु मण्डल का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया।

2. मण्डल द्वारा प्रदेश में संचालित समस्त निर्माण कार्यों से निर्माण कार्य का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्राप्त कर एक निधि का गठन किया गया। जिस राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के हित में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने में किया जाता है।

इस अधिनियम के लागू किए जाने से –

1. निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार होगा। कार्यस्थल पर समुचित और बुनियादी जरूरी सुरक्षा तथा व्यवस्था होने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी लाते हुए अति आवश्यक मानव कार्य दिवस में वृद्धि होगी, बल्कि कार्यस्थल पर उचित व्यवस्थाएं होने से बेहतर कार्यक्षमता प्राप्त हो सकेगी। इसे श्रमिकों के लिए वातावरण बेहतर और सम्मानजनक बनेगा।
2. हमारी कार्यशील जनसंख्या का एक सबसे बडा हिस्सा असंगठित श्रमिकों का है। इस असंगठित समूह में निर्माण कर्मकारों की बहुत बड़ी संख्या है। इस समूह की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होने से सामाजिक परिदृश्य में भी परिवर्तन आएगा।
3. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के जीवन की लगभग हर महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे अनियमित कार्यदशा के बाद भी न्यूनतम और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

4. निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की शिक्षा के स्तर में वृद्धि संभव हो सकेगी, जिससे उनका एवं भावी पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा।

5. निर्माण मजदूरों की स्थिति में गुणात्मक बदलाव आयेगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 – कानून/योजना के मुख्य हिस्से निर्माण श्रमिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है : –

1. जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो।

2. किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। उदाहरण के लिये उपयंत्री (सब इंजीनियर) निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

3. ठेकेदार तथा ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, टाईल्स, खपरे, मुरम, मिट्टी जैसी निर्माण सामग्री प्रदाय करने वाले व्यक्ति एवं स्वयं की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भी निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

4. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन – हितग्राही के रूप में पंजीयन के लिये निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पिछले 12 माहों में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है।

5. भवन कर्मकारों के हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के लिये निम्नानुसार प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं–

   ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

   शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका/नगर परिषद

6. हिताधिकारी के रूप में पंजीयन होने के पश्चात ही निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार लाभ प्राप्त कर सकता है।

7. प्रत्येक पंजीयन का 05 वर्ष के उपरांत निरंतरीकरण कराया जाना आवश्यक है।

8. पंजीयन हेतु रूपये 05 तथा 05 वर्ष हेतु अभिदाय रूपये 10 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रथम पंजीयन के समय रूपये 15 राशि जमा की जाती है तथा बाद में 05 वर्ष के निरंतरीकरण के लिए रूप्ए 10 अभिदाय के रूप में दिया जाता है।

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2010 के अनुसार निर्माण श्रमिकों के पंजीयन समयबद्ध तरीके से कराने की व्यवस्था बनायी गयी है।

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	जिम्मेदार अधिकारी / दफ्तर	कितने दिन में पंजीयन?	यदि पंजीयन न हो, तब अपील कहाँ हो?	अपील का निराकरण कितने दिन में?	दूसरी अपील कहाँ हो?
ग्रामीण क्षेत्रों में	मुख्य कार्यपालन अधिकार, जनपद प्रंचायत	30 कार्यदिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्यदिवस	जिला कलेक्टर
शहरी क्षेत्रों मे	अ. जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ हैं, वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी आ. जहाँ श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है, वहां आयुक्त, नगर निगम या नगर पालिका / नगर पंचायत से सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व;	30 कार्यदिवस	अ. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व आ. कलेक्टर इ. अनुविभागीय अधिकार, राजस्व	30 कार्यदिवस	कलेक्टर और आयुक्त नगर निग्रम के कार्य क्षेत्र की दशा में संभाग आयुक्त

निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य

1. कोई भी नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के स्थान पर यह सुनिश्चित करेगा कि बहुत ज्यादा शोर या कंपन के बुरे प्रभावों से श्रमिकों की सुरक्षा हो।

2. जहां भी निर्माण होगा, वहां आग से सुरक्षा और आग लगने पर उससे तत्काल निपटने की व्यवस्था उपलब्ध हो।

3. आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थाएं हो। आपात स्थितियों का मतलब हैः आग लगना, भवन या शेड ढह जाना, गैस का रिसाव या घातक रसायनों का छलकना, भवन कर्मकार का डूबना, भू–स्खलन आदि।

4. खतरनाक, हानिप्रद पर्यावरण, फिसलने, डूबने, गिरने से सुरक्षा, धूल, गैसों आदि से सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाना।

5. मोटरों या यंत्रों आदि की बाड़ लगाना ताकि खतरनाक पुर्जों से सुरक्षा रहे।

6. भार उठाना – नियम कहते हैं कि कोई भी वयस्क पुरुष 55 किलो, वयस्क महिला 30 किलो, अवयस्क पुरुष 30 किलो, अवयस्क महिला 20 किलो से ज्यादा भार उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

7. श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की नीति बनाना दृ कोई भी संस्थान जो 5 0 या इससे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाता है उसे मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरणीय माहौल, जोखिमों से निपटने, प्रशिक्षण और उत्तरदायित्व (ठेकेदार, नियोजक, परिवहनकर्ता आदि के उत्तरदायित्वों) के बारे में लिखित नीति बनाएगा।

8. **स्वास्थ्य की व्यवस्था** – नियोजक की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन और संनिर्माण कार्य के स्थान पर प्राथमिक उपचार की पेटियां और अलमारियाँ रखेगा।

9. **काम के घंटे** – नियनों के अनुसार भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण के काम में किसी मजदूर या श्रमिक से एक दिन में 9 घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

10. दिन में 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करवाया जाएगा और कम से कम आधे घंटे का अवकाश दिया जाएगा।

11. निर्माण श्रमिक को सप्ताह में एक दिन का विराम दिया जाएगा। इस विराम के दिन के लिए भी उसे उतनी मजदूरी की राशि दी जाएगी, जो विराम के एक दिन पहले वाले काम के लिए दी गई हो।

12. नियोजन (यानी काम पर रखने वाला व्यक्ति या संस्थान) कार्य स्थान पर एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें मजदूरी की दरें, मजदूर के काम के दिनों की जानकारी, निरीक्षकों के नाम और पते आदि की जानकारी समझ में आने वाली भाषा में लिखी जाएगी।

13. इसके साथ ही मस्टर रोल भी रखा जाएगा।

14. कार्यस्थल पर शौचालय और मूत्रालय की सुविधा भी होना चाहिए। यह सुविधा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग होगी।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

दायित्व, पंजीयन की प्रक्रिया और भूमिका

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तां का विनियमन) अधिनियम, 1996 और मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक मण्डल का गठन किया गया गया है। इसे मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कहा जाता है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खास तौर पर निर्माण के क्षेत्र में संलग्न मजदूरों को पहचान दिलाने, उनके हकों को सुनिश्चित करने, उनके लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करवाना इस मण्डल के मुख्य दायित्व हैं। चूंकि इस मण्डल का गठन एक कानून के तहत किया गया है, इसलिए मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का पात्रता के अनुरूप लाभ पाना हर निर्माण श्रमिक का अधिकार है।

किसी निर्माण श्रमिक द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की कल्यानणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह जरूरी होगा कि सर्वप्रथम वह मण्ड्ल को आवेदन कर स्वयं को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत कराये। इसमें 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र के मजदूरों का पंजीयन होता है। इसके साथ ही पंजीयन के लिए जरूरी होगा कि आवेदक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण मजदूर के रूप में कार्य किया गया हो।

पंजीयन कैसे हो?

1. पंजीयन कराने के इच्छुक श्रमिक को 15 रूपए के आवेदन शुल्क और पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ सहित, विहित प्रपत्र में मण्डल को आवेदन करना होगा।
2. आवेदन की जांच कर मण्डल आवेदन को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत करेगा और इसके प्रमाणस्वरूप उसे एक फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करेगा।
3. एक पंजीयन हो जाने के बाद, हिताधिकारी को 60 वर्ष की उम्र तक राज्य शासन द्वारा निर्धारित मास्िक दर से मण्डल में अभिदाय जमा करना होगा।
4. वह अपने नियोजक को, मजदूरी से अभिदाय (अंशदान) काटकर सीधे मण्डल को भेजने हेतु भी अधिकृत कर सकेगा। अभिदाय जमा करने में लगातार एक वर्ष तक चूक करने की दशा में वह हिताधिकारी नहीं रह जाएगा।
5. पंजीयन को जीवित रखने के लिए 10 रूपए प्रति 5 वर्ष के लिए अपना अंशदान जमा कराना है। पहले 5 सालों के लिए यह अंशदान पंजीयन के समय ही जमा किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के चलाई जा रही योजनाएं

योजना	लाभ	पात्रता / शर्तें	जिम्मेदार अधिकारी और स्तर	हमारी भूमिका
प्रसूति सहायता योजना– 2004	इसके तहत महिला को प्रसूति अवकाश और पुरुष को पितृत्व अवकाश का अधिकार है। पंजीकृत महिला को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के साथ 45 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। पंजीकृत पुरुष को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के साथ 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। इसके साथ ही जानना सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रूपए की सहायता भी मिलेगी।	यह सहायता 3 बच्चों तक सीमित है। इसमें उस वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम मजदूरी / वेतन के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रसूति होने की तारीख के 60 दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत को और शहरी क्षेत्रों के लिए श्रम कार्यलय / नगर पालिका / नगर निगम में तय प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है। ये अधिकारी की सहायत स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं।	ग्रामीण क्षेत्रों में – विकास खंड चिकित्सा अधिकार शहरी क्षेत्रों में – सिविल सर्जन / अधीक्षक, मेडिकल कालेज अस्पताल / विकासखंड चिकित्सा अधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को प्रसूति योजना का लाभ मिले? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में प्रसूति योजना के बारे में बताएं।

विवाह सहायता –2004	25 हजार रूपए की सहायता	महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक सीमित – पंजीकृत महिला श्रमिक या उनकी दो पुत्रियों के लिए;	**ग्रामीण क्षेत्र** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** – आयुक्त नगरपालिका निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / नगर पालिका / नगर पंचायत	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को विवाह सहायता योजना का लाभ मिले? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में विवाह सहायता योजना के बारे में बताएं।
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना–2004	5 00 रूपए से 10,000 रूपए तक की सहायता	कक्षा 1 से पीएचडी करने तक	प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी (I) शासकीय माध्यमिक शाला और पास की संबद्ध की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्रधान अध्यापक। (II) शासकीय हाईस्कूल / उच्चतर माध्यमिक शाला में प्राचार्य। (III) अशासकीय शालाओं में (कक्षा 1	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ मिले? ग्राम सभा और

			से कक्षा 12वी तक) संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयों के प्रकरण में संस्था प्रमुख निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में संबद्ध अग्रणी महाविद्यालय पदाभिहित अधिकारी/आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय/जनपद पंचायत द्वारा छात्र–छात्राओ के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से।	सामुदायिक बैठकों में शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में बताएं।
मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना – 2004	2000 रूपए से 12,000 रूपए तक	कक्षा 5 से स्नातकोत्तर स्तर तक	शासकीय विद्यालयों के प्रकरण की स्थिति में संबंधित शाला के प्राचार्य निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य पदाभिहित अधिकारी, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय/जनपद पंचायत द्वारा छात्र–छात्राओ के	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना का लाभ मिले? स्कूलों में इसके बारे में जानकारी

			खाते में आरटीजीएस के माध्यम से।	दी जाए। ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरुस्कार योजना के बारे में बताएं।
मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता – 2004	25 हजार रूपए से 2 लाख रूपए तक की अनुग्रह सहायता अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रूपए	सामान्य मृत्यु होने पर आयु 45 वर्ष या उससे कम होने पर – 75 हजार रूपए आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर – 25 हजार रूपए दुर्घटना मे मृत्यु होने पर रूपए 2 लाख रूपए स्थायी अपंगता होने की स्थिति में – 75 हजार रूपए	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – आयुक्त नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ मिले? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के बारे में बताएं।
चिकित्सा सहायता – 2004	3 लाख रूपए तक की सहायता	अस्पताल को देय	ग्रामीण क्षेत्र – विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी/कलेक्टर/आयुक्त/सचिव, मण्डल (हितलाभ राशि के	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं,

			अनुसार) शहरी क्षेत्र – सिविल सर्जन / अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल / कलेक्टर / आयुक्त / सचिव, मण्डल (हितलाभ राशि के अनुसार)	उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को चिकित्सा सहायता का लाभ मिले? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में चिकित्सा सहायता के बारे में बताएं।
मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना – 2013	5 0 हजार रूपए का अनुदान	कुल 1 लाख 20 हजार रूपए की लागत की इकाई (मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अनुरूप) 5 0 हजार रूपए का अनुदान 20 हजार रूपए श्रम अथवा सामग्री के रूप में हितग्राही अंशदान तथा शेष 5 0 हजार बैंक ऋण के रूप में इसके लिए हितग्राही का 2 लगातार वर्षो से वैध परिचय पत्र धारी होना आवश्यक है।	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / नगर पालिका / नगर पंचायत	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना का लाभ मिले? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना के बारे में बताएं।

मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना – 2013	1 लाख रूपए तक अनुदान	7 लाख 5 0 हजार रूपए तक की लागत का आवासीय निर्माण किये जाने हेतु कम से कम 5 0 प्रतिशत राशि बैंकध्वित्तीय संस्था से ऋण लेने की स्थिति में मण्डल द्वारा 1 लाख रूपए का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए हितग्राही को लगातार 2 वर्षो से वैध परिचय–पत्रधारी होना आवश्यक है।	श्रम विभागीय अधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना का लाभ मिले? वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना के बारे में बताएं।
कौशल प्रशिक्षण योजना – 2012	निर्माण श्रमिकों तथा आश्रितजनों हेतु भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण	16 से 45 वर्ष के आश्रितजनों तथा 18 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिकों हेतु शुल्क का भुगतान मण्डल द्वारा	सहायक श्रमायुक्तध्श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को

				कौशल प्रशिक्षण योजना का लाभ मिले? ग्रामसभा / वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में कौशल प्रशिक्षण योजना के बारे में बताएं।
राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार – 2013	राज्य लोक सेवा आयोग– प्रारंभिक परीक्षा – 15 हजार रूपए मुख्य परीक्षा – 25 हजार रूपए संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा – 25 हजार रूपए मुख्य परीक्षा – 5 0 हजार रूपए	निर्माण श्रमिक के पुत्र–पुत्रियों हेतु	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार का लाभ मिले? ग्रामसभा / वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार के बारे में बताएं।

पेंशन सहायता योजना – 2013	स्वाबलंबन योजना के अनुरूप	2 वर्ष से का निरंतर पंजीकृत हितग्राही हेतु 25 से 45 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिक हेतु भारत सरकार का 1 हजार रूपए का अंशदान मण्डल द्वारा प्रथम 5 वर्ष हेतु 1000 रूपए का अंशदान हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 हजार रूपए का अंशदान	सहायक श्रमायुक्तध् श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार का लाभ मिले? ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार के बारे में बताएं।
सुपर 5000 (कक्षा 10वीं – 2013	25 हजार रूपए	राज्य की मेरिट में आने की स्थिति में – मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम 5 हजार बच्चों में शामिल	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि

		पंजीकृत हितग्राही की संतानों को।		पंजीकृत हितधारक को सुपर 5000 (कक्षा 10वीं)– 2013 का लाभ मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में सुपर 5000 (कक्षा 10वीं)– 2013 के बारे में बताएं।
सुपर 5 000 (कक्षा 12वीं) – 2013	25 हजार रूपए	राज्य की मेरिट में आने की स्थिति में – मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में प्रथम 5 हजार बच्चों में शामिल पंजीकृत हितग्राही की संतानों को।	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को सुपर 5000 (कक्षा 12वीं)– 2013 का लाभ मिले? ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में सुपर 5000 (कक्षा 12वीं)– 2013 के बारे में बताएं।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान – 2013	वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने/प्रथम वर्ष में उर्त्तीण होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में 5 000 रूपए से 20,000 रूपए तक एकमुश्त राशि की सहायता/अनुदान देय है।	निम्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुदान देय है – फिजियोथेरिपी डिग्री कोर्स, नर्सिंग कालेज, पेरामेडिकल कोर्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आई.टी.आई., एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम	सहायक श्रमायुक्तध्श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान– 2013 का लाभ मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान–2013 के बारे में बताएं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड) योजना–2013	10 लाख रूपये का अनुदान	नगरीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीठाश्रमिकों के लिये शेड निर्माण हेतु मण्डल द्वारा 10 लाख रूपए तक अनुदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय को दिया जाता है।	संबंधित नगर नगरीय निकाय	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड)

				योजना–2013 का लाभ मिले? ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड) योजना–2013 के बारे में बताएं।
निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना – 2014	रैन बसेरा निर्माण हेतु उपलब्ध राशि – 04 महानगरों (भोपाल, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर) – 25 लाख रूपए, अन्य नगर निगम हेतु – 20 लाख रूपए नगर पालिका हेतु – 15 लाख रूपए और नगर पंचायत हेतु – 10 लाख रूपए	निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्री विश्राम हेतु किया जा सकेगा।	आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना – 2014 का लाभ मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना–2014 के बारे में बताएं।

खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014	5 हजार रूपए से 50 हजार रूपए तक	जिला/संभाग/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में चयनित होने/मण्डल द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजेता होने पर 5 हजार रूपए से 50 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि।	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिकाध्नगर परिष्रद मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में श्रम विभागीय अधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014 का लाभ मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014 के बारे में बताएं।
औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, 2014	टूल किट की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1500 रूपए दोनो में से जो भी कम हो, राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।	5 वर्ष में एक बार 3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।	**ग्रामीण क्षेत्र** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** – आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिका/नगर परिषद	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को औजारध्उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, 2014 का लाभ मिले? ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक

				बैठकों में औजारध्उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, 2014 के बारे में बताएं।
व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014	20 हजार रूपए अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनो में सें जो कम हो) अनुदान देय होगा।	पात्रता – न्यूनतम 3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य पात्र होंगे। कोचिंग संस्थान – कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हों। न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई हों, कम से कम 3 वर्ष से सेवा शुल्क दे रहा हो। परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हों।	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगमध्मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिकाध्नगर परिषद कोचिंग संस्थान जहां स्थित हैं, वहां के स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) द्वारा हितलाभ भुगतान किया जाएगा।	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014 का लाभ मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में व्यावसायिक (यूजीध्पीजी) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014 के बारे में बताएं।

निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014	इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी – निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 1 लाख रूपए। निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर – 75 हजार रूपए अंत्येष्टि सहायता – 3 हजार रूपए	आवेदन के साथ एफआईआर / पंचनामे की प्रति, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिर्पोट स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र (उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।)	**ग्रामीण क्षेत्र** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** – आयुक्त, नगर निगमध्मुख्य नगरपालिका अधिकारी / नगर पालिका / नगर परिषद **अंत्येष्टि सहायता** – ग्राम पंचायतध्नगरीय निकाय यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं।	यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014 का सहयोग मिले? ग्रामसभा / वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014 के बारे में बताएं।
सायकल अनुदान योजना–2014	वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अथवा राशि 2,5 00 रूपए जो भी कम हो।	सायकल खरीदी का बिल प्रस्तुत करने पर। यह अनुदान जीवनकाल में 1 बार प्राप्त होगा।	**ग्रामीण क्षेत्र**– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र**– आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / नगर पालिका / नगर परिषद	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक

				की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014 का सहयोग मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014 के बारे में बताएं।
दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना–2014	कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा 10,000 रूपए, जो भी कम हो)	बैंक ऋण के माध्यम से दो पहिया वाहन क्रय किये जाने पर। क्रय किया गया वाहन तीन वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित। निर्माण श्रमिक के नाम से अन्य वाहन पंजीकृत नहीं होने पर।	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर पालिका/नगर परिषद	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना–2014 का सहयोग मिले? ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान

				योजना–2014 के बारे में बताएं।
स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना–2015	राशि 15,000 रूपए	अनुदान की राशि 2 किश्तों में 50 प्रतिशत राशि नींव खुदाई पर, शेष 50 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने पर। स्वयं / परिवार के नाम का मकान होना आवश्यक, 3 वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी होने पर।	**ग्रामीण क्षेत्र** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **शहरी क्षेत्र** – सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना–2015 का सहयोग मिले? ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना–2015 के बारे में बताएं।

भाग–दो के लिए प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है : –

जब आप मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे तो सबसे पहले निर्माण श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार, अनियमित रोजगार के दृष्टिगत सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखना होगा।

अपने कार्यक्षेत्र में सबसे पहले भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण की मौजूदा स्थितियों का आंकलन करें। आंकलन निम्न बिंदुओं पर किया जा सकता है –

प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें
निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी इकठ्ठा करना।	आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां यह पता करें कि कौन–कौन से लोग/परिवार निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते हैं? इस काम के लिए हम पंचायत से भी जानकारी इकठ्ठा कर सकते हैं। यह भी बेहतर होगा कि गांव/बस्ती में समूह चर्चाएं करके कम यह जानकारी इकठ्ठा करें।
श्रम और श्रमिकों की गांव/बस्ती/समाज और देश के निर्माण में सक्रीय–रचनात्मक भूमिका के बारे में संवाद को शुरू करना और आगे बढ़ाना।	श्रम और श्रमिकों की गांव/बस्ती/समाज और देश के निर्माण में सक्रीय–रचनात्मक भूमिका के बारे में संवाद को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए समूह चर्चाएं (खास तौर पर युवाओं, महिलाओं के समूहों में) करना, स्कूल में बच्चों के बीच श्रम और श्रमिकों के गरिमामय स्वरुप पर गतिविधियां करना और ग्राम सभा की बैठक में इस विषय पर बात करना।
पंजीकरण	दूसरे स्तर पर यह जानने की कोशिश करें कि गांव/बस्ती में निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने वाले लोगों/परिवारों का मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीयन हुआ है या नहीं? किनका पंजीयन हुआ है? किनका पंजीयन नहीं हुआ है, यदि पंजीकरण छूटा है तो उनका पंजीयन करवाने में सहायता करें

पंजीकरण के पश्चात पोर्टल द्वारा उपलब्ध करवाया जाने वाला परिचय–पत्र प्राप्त है अथवा नहीं?	यदि नहीं, तो प्राप्त करने में सहायता करें
पंजीकरण के पश्चात निश्चित समयावधि में परिचय–पत्र का निरंतरीकरण करवाया गया है अथवा नहीं? परिचय पत्र 5 साल के लिए होता है, इसका 5 साल में नवीनीकरण करवाना होता है।	यदि नहीं, तो निरंतरीकरण करवाए जाने में सहायता करें।
परिचय–पत्र निर्माण श्रमिक के पास है अथवा नहीं?	यदि परिचय–पत्र बनाये जाने के उपरांत भी उसे नहीं प्रदान किया गया है तो इस पर परिचय–पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर कार्यवाही करें?
परिचय–पत्र में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटिय जैसे नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, उम्र, सदस्यों का संबंध आदि की जांच कर लें।	त्रुटि या गलती पाये जाने की स्थिति में सुधार की कार्यवाही हेतु जारी कर्ता अधिकारी से संपर्क कर गलती सुधरवाने की कार्यवाही करावें।
पूर्व में मण्डल द्वारा हस्तलिखित परिचय–पत्र जारी किये जाते थे। ऐसे परिचय–पत्र धारितों को चिन्हांकन करें।	उक्त प्रकार के परिचय–पत्र धारियों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुये पोर्टल द्वारा कार्ड बनवाये जाने हेतु प्रेरित करें।
मण्डल द्वारा कुछ महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनायें संचालित की जाती हैं।	यह देखें कि आपके कार्यक्षेत्र के लोगों को मण्डल की योजनाओं की जानकारी है अथवा नहीं? क्या उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है?
पात्रता होने पर क्या हितग्राही द्वारा आवेदन किया गया है?	यदि नहीं तो आवेदन हेतु सहायता करें तथा संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय से हितलाभ की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

हितलाभ की राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में स्थानांतरित होनी चाहिये जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।	उक्त परिस्थिति की समीक्षा करें कि राशि सीधे हितग्राही के खाते में स्थानांतरित हो रही है अथवा नहीं? हो सकता है कि कुछ श्रमिकों के बैंक खाते न खुले हों, उन्हें बैंक खाते खुलवाने में मदद करें।
मण्डल की कुछ योजनायें यथा पंजीकरण, प्रसूति सहायता, मृत्यु सहायता, विवाह सहायता तथा स्थायी अपंगता लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत ली गई हैं?	समय–सीमा के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है अथवा नहीं। कुछ परिस्थितियों में यह देखने में आता है कि समय–सीमा में लोक सेवा के पोर्टल पर योजनांतर्गत स्वीकृति दर्शा दी जाती है किन्तु राशि हितग्राही के खाते में स्थानांतरित नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी की जानकारी में लाते हुये समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
योजनाओं से आया बदलाव?	मण्डल के गठन तथा योजनाओं का उद्देश्य निर्माण श्रमिकोंकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, कार्यदशाओं में सुधार लाने तथा जीवन स्तर को उंचा उठाना है। समुदाय के लोगों के साथ चर्चा कर यह विश्लेषण करें कि क्या इनमें से कुछ लक्ष्यों की पूर्ति हुई है? सकारात्मक सुधारों के बारे में सबसे चर्चा करें।
स्थानीय निकायों, ग्राम सभा और सामुदायिक समूहों के बीच चर्चा, संवाद और बहस की प्रक्रिया।	हमें यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिकों के महत्व, उनकी भूमिका, और उनकी गरिमा के बारे में स्थानीय निकायों, ग्राम सभा और सामुदायिक समूहों के बीच चर्चा, संवाद हो।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य की रिपोर्ट

अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने कार्यक्षेत्र में इसे समुचित रूप में लागू करवाएं तथा प्रायोगिक/मैदानी कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसका प्रारूप गतिविधियों के रूप में दिया गया है।

योजना का नाम (आप जिस योजना पर अपना मैदानी कार्य केंद्रित कर रहे हैं, उसे चुन लें और उसके लिए अलग शीट बना लें। उसी योजना पर अपने मैदानी कार्य से सम्बंधित अगले तीनों कालम में लिखे गए बिंदुओं का विस्तार से जवाब दें।)	आपके मैदानी कार्य की शुरुआत में स्थिति क्या थी? (कितने लोग वंचित थे? कितने लोगों को जानकारी थी? आदि)	आपकी पहल का लाभ (आपकी पहल से कितने लोगों ने योजना के लाभ के लिए आवेदन किया? वास्तव में कितने लोगों/श्रमिकों को योजना का लाभ मिला? कितने लोगों तक जानकारी पंहुची? आदि)	इस योजना परध्के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे?
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन			
प्रसूति सहायता योजना – 2004			
विवाह सहायता – 2004			
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना–2004			
मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना – 2004			
मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता – 2004			

चिकित्सा सहायता – 2004			
मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना – 2013			
मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना – 2013			
कौशल प्रशिक्षण योजना – 2012			
राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार– 2013			
पेंशन सहायता योजना – 2013			
सुपर 5 000 (कक्षा 10वीं) – 2013			

सुपर 5 000 (कक्षा 12वीं) – 2013			
व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान– 2013			
पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड) योजना–2013			
निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना – 2014			
खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014			
औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, 2014			
व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्क्रम की प्रवेश परीक्षाओं की कोंचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014			
निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान पंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014			
सायकल अनुदान योजना–2014			
दो पहिया वाहन क्रय हेतु			

अनुदान योजना–2014			
स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना–2015			

यह यह तथ्यात्मक जानकारी एक प्रारूप में इकठ्ठा करें कि आपकी पहल की शुरुआत में कितने निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन नहीं हुआ था? इस पहल से कितने पंजीयन हुए? इस योजना के तहत कितने श्रमिकों को योजना का लाभ मिला? इस पहल के आपके अनुभव क्या रहे?

भाग – तीन

मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों / मण्डलों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनायें

मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों/मण्डलों द्वारा संचालित
कल्याणकारी योजनाएं

मध्यप्रदेश में श्रमिकों/मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों की सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से श्रम विभाग तो योजनाएं तो संचालित करता ही है; साथ ही अन्य सरकारी विभाग भी इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओंध्कार्यक्रम का संचालन करते हैं।

वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लागू किया गया। इसका नाम है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 इस कानून के व्यापक प्रावधान आप श्रम कानूनों वाले हिस्से में पढ़ चुके हैं। इसी कानून के मंतव्यों को पूरा करने के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हकों पर केंद्रित इस पुस्तिका के तीसरे हिस्से में हम उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका संचालन अन्य विभागों के द्वारा किया जाता है।

इन योजनाओं में मुख्य रूप से श्रमिकों के स्वास्थ्य, मातृत्व हक, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सरीखी सहायतायें शामिल हैं।

क.	योजना	विभाग/मण्डल का नाम	योजना का नाम/पात्रता	हितलाभ	योजनाओं के वितरण हेतु पदाविहित अधिकारी
1	2	3	4	5	6
			प्रसूति सहायता/ मातृत्व हक योजनायें		
1.	**प्रसूति सहायता योजना**	**1. कृषि विभाग – कृषि विपणन बोर्ड**	**प्रसूति अवकाश सहायता** – मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना। **पात्रता** – कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी/ पंजीकृत हम्माल एवं तुलावटी।	मातृत्व हक के रूप में पंजीकृत हितग्राही अथवा उसकी पत्नी को अधिकतम 02 बच्चों के जन्म तक, महिला हम्माल/तुलावटी को 45 दिन की निर्धारित प्रचलित मजदूरी के बराबर की राशि। पितृत्व हक के रूप में पुरूष हम्माल/तुलावटी को 15 दिन की निर्धारित प्रचलित राशि।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी
		2. सामाजिक न्याय एव निःशक्त जन कल्याण विभाग	**मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना** – इसके तहत मातृत्व हक का प्रावधान	प्रसूता को 45 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

			पात्रता – भूमिहीन खेतीहर पंजीकृत हितग्राही अथवा उसकी पत्नी को 02 प्रसव के लिये।	पात्र महिला के पति/शिशु के पिता को 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि।	
		3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	**मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना** – इस योजना के तहत घरेलू कामकाजी महिला के लिए मातृत्व हक के प्रावधान हैं **पात्रता** – शहरी घरेलू कामकाजी महिला	कलेक्टर दर पर छः सप्ताह की मजदूरी के बराबर की राशि। इस योजना के तहत पितृत्व अवकाश के रूप मे शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि। इस योजना के तहत अधिकतम दो प्रसूतियों तक मातृत्व या पितृत्व हक का प्रावधान है।	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

		4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	**हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना** **पात्रता** – हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक	निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के बराबर की राशि। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि। इस योजना के तहत दो प्रसूतियों तक ही लाभ दिया जाता है।	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
		5. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	**पथ पर विक्रय करने वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए** **पात्रता** – हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक	निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के बराबर की राशि। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि। इस योजना के तहत दो प्रसूतियों तक ही लाभ दिया जाता है।	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

		6. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	**केश शिल्पी कल्याण योजना** **पात्रता** – केश शिल्पी	निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार छह सप्ताह की मजदूरी के बराबर की राशि। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के बराबर की राशि। इस योजना के तहत दो प्रसूतियों तक ही लाभ दिया जाता है।	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
		7. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	**प्रसूति सहायता – 2004** **पात्रता** – संनिर्माण में लगे श्रमिक पति/पत्नि	45 दिन का न्यूनतन वेतन महिला श्रमिकों हेतु, तथा 1400 रूपये पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रूपये शहरी क्षेत्र हेतु। 15 दिन का न्यूनतम वेतन पुरूष श्रमिक हेतु। प्रति वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर। इस योजना के तहत सहायता 3 बच्चों तक सीमित है।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

विवाह सम्बन्धी सहायता योजनाएं					
2.	**विवाह सम्बन्धी योजना**	1. **सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग**	**मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना** **पात्रता** – महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक सीमित एकल विवाह में भी हितलाभ राशि देय है। आवदेक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा वह रूपये जरूरतमंद हो, निराश्रित/निर्धन परिवार से सम्बन्ध हो, उनके परिवार को विवाह/निकाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिला के सामूहिक विवाह हेतु।	रूपये 10 हजार की सावधि जमा, विवाह के लिये आवश्यक सामग्री 05 हजार रूपये की कय कर (बिछियॉं, पायल एवं वर्तन) अन्य सामग्री रूपये 07 हजार की, आयोजक को रूपये 03 हजार; इस प्रकार कुल 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता। **इसके अतिरिक्त निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना भी सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसमें समान राशि देय है।** **अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना,**	ग्रामीण क्षेत्र– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र– आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी

				बाछड़ा–बेड़िया जाति विवाह प्रोत्साहन योजना, भी संचालित की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के बराबर की राशि प्रदान की जाती है।	
		2. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**विवाह सहायता – 2004** महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की दो पुत्रियों तक सीमित एकल विवाह में भी हित लाभ राशि देय है।	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा एकल विवाह में भी हितलाभ प्रदान किया जाता है। एकल विवाह में रूपये 25,000 का हितलाभ दिया जाता है। सामूहिक विवाह में रूपये 23 हजार हितग्राही को तथा रूपये 02 हजार की राशि आयोजक को प्रदान किये जाने का प्रावधान।	आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>अन्य विभागो द्वारा संचालित योजना में 02 पुत्रियों की सीमा नही है।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">शिक्षा प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति योजनायें</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>शिक्षा संवर्ग की योजना</td><td>1. आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</td><td>छात्रवृत्तियां
पात्रता – अनुसूचित जाति –जनजाति के विद्यार्थियों के लिये मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित छात्र/छात्राओं हेतु;
आय का कोई बंधन नही है।</td><td>राज्य छात्रवृत्ति योजना
<table>
<tr><th rowspan="2">क.</th><th rowspan="2">कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की दर</th></tr>
<tr><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1 से 5</td><td>रूपये 150</td><td>रूपये 150</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>6 से 08</td><td>रूपये 200</td><td>रूपये 600</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>9 से 10</td><td>रूपये 600</td><td>रूपये 1200</td></tr>
</table>
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना – कक्षा 11वीं से महाविद्यालीन कक्षाओं के लिये रूपये 02 लाख की आय सीमा तक भारत शासन द्वारा सहायता दी जाती है।
02 से 03 लाख आय सीमा वालों के लिये राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।</td><td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा विभाग द्वारा</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. आदिम जाति कल्याण विभाग – अनुसूचित जाति कल्याण विभाग</td>
<td>छात्रवृत्तियाँ
अनुसूचित जाति –जनजाति के विद्यार्थियों के लिये</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">समूह</th><th rowspan="2">विषय</th><th colspan="2">दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें</th></tr>
<tr><th>छात्रावास</th><th>गैर छात्रावास</th></tr>
<tr><td>वर्ग–1</td><td>चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साईंस, वित्त समुह</td><td>1200</td><td>500</td></tr>
<tr><td>वर्ग–2</td><td>आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम</td><td>820</td><td>530</td></tr>
<tr><td>वर्ग–3</td><td>इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम</td><td>570</td><td>300</td></tr>
<tr><td>वर्ग–4</td><td>सामान्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर तक पाठ्यक्रम का सामान्य प्रथम वर्ष</td><td>380</td><td>230</td></tr>
</table>
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति – कक्षा 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजति के विद्यार्थियों के लिये
</td>
<td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा विभाग द्वारा</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग</td><td>विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के लिये</td><td>
<table>
<tr><th>क.</th><th>कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की दर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>1 से 5</td><td>रूपये 150</td><td>रूपये 150</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>6 से 08</td><td>रूपये 200</td><td>रूपये 600</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>9 से 10</td><td>रूपये 600</td><td>रूपये 1200</td></tr>
</table>
राज्य छात्रवृत्ति योजना

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना – कक्षा 11वीं से महाविद्यालीन कक्षाओं के लिये रूपये 02 लाख की आय सीमा तक भारत शासन द्वारा सहायता दी जाती है।
02 से 03 लाख आय सीमा वालों के लिये राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।</td><td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा विभाग द्वारा</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</td>
<td>राज्य छात्रवृत्ति योजना</td>
<td>प्री–मेट्रिक – 6वीं से 10वीं कक्षा के वे विद्यार्थी जिनके माता–पिता आयकरदाता नही हैं तथा जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है।
<table>
<tr><th rowspan="2">क.</th><th rowspan="2">कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की [illegible]</th></tr>
<tr><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>6 से 8</td><td>रूपये 200</td><td>रूपये 300</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>9 से 10</td><td>रूपये 300</td><td>रूपये 400</td></tr>
</table>
प्रावीण्य (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना –10वीं तथा 12वीं बोर्ड में जिले में पिछड़े वर्ग के उन छात्र/छात्राओं को जिन्होने सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों;
इस योजना में आय का कोई बंधन नही है।
कक्षा 10वीं के लिये रूपये 05 हजार तथा कक्षा 12वीं के लिये रूपये 10 हजार देय है।</td>
<td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा, विभाग द्वारा</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. स्कूल शिक्षा विभाग</td>
<td>सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति/छात्र प्रोत्साहन योजना</td>
<td>शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एंव 10वीं में अध्ययनरत् सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए, जिनकी समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 54 हजार से अधिक न हो, ऐसे छात्र को रूपये 300 एवं छात्रा को रूपये 400 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है।
10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 11वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वी में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए, जिनके परिवार की सालान आय रूपये 54 हजार तक हो; उन परिवारों के छात्र को रूपये 500 तथा छात्रा को रूपये 550 प्रतिवर्ष। इसी प्रकार उक्त आय सीमा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 11 वीं एवं 12वीं मे अध्ययनरत् छात्रावास में निवासरत सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार के छात्र का रूपये 500 प्रतिमाह तथा छात्रा को रूपये 525 प्रतिमाह की राशि 10 माह के लिए दी जाती।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम छात्र प्रोत्साहन योजना
प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले बच्चों, जिनके परिवार की आय रूपये 54 हजार या इससे कम हो;</td><td>इस योजना के तहत रूपये 5 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जती है;</td><td>जिला शिक्षा अधिकारी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.
सामाजिक न्याय विभाग</td><td>निःशक्त छात्रवृत्ति योजना</td><td>बहुविकलांग छात्र/छात्राओं जिनकी आयु 06 से 21 वर्ष हो, को निम्न अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है :-
<table>
<tr><th>क.</th><th>कक्षा</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>प्राथमिक एवं मिडिल स्तर 01 से 08</td><td>रूपये 500</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/ आई0टी0आई</td><td>रूपये 1000</td></tr>
<tr><td>3।</td><td>स्नातक/ स्नातकोत्तर / पॉलीटेक्निक</td><td>रूपये 2000</td></tr>
</table></td><td>1. शैक्षणिक संस्था प्रमुख,
2. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6.
कृषि विपणन बोर्ड</td>
<td>मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल/तुलावटी सहायता योजना
(प्रावीण्य सहायता योजना)
अनुज्ञप्तिधारी हम्माल/तुलावटी के पुत्र/पुत्री, जो 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों। अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर किसी एक का चयन करना होगा।</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क.</th><th rowspan="2">कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की दर</th></tr>
<tr><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01 से 05</td><td>रूपये 500</td><td>रूपये 800</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>6 से 8</td><td>रूपये 1000</td><td>रूपये 1200</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>9 से 10</td><td>रूपये 1200</td><td>रूपये 1700</td></tr>
</table>
</td>
<td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा विभाग द्वारा</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7.
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण मण्डल</td>
<td>शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना – 2004</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">क.</th><th rowspan="2">कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की दर</th></tr>
<tr><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कक्षा 1 से कक्षा 5</td><td>500</td><td>800</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कक्षा 6 से कक्षा 8</td><td>1000</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कक्षा 9 से कक्षा 10</td><td>1200</td><td>1700</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्नातक</td><td>3000</td><td>4000</td></tr>
</table>
</td>
<td>संकुल प्रभारी/प्राचार्य शिक्षा विभाग द्वारा</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>5.</td><td>स्नातकोत्तर</td><td>5000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>स्नातक व्यावसायिक पाठ्यकम में अध्ययनरत होने पर</td><td>6000</td><td>8000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यकम में अध्ययनरत होने पर</td><td>8000</td><td>10000</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना – 2004</td>
<td>
मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना :–
<table>
<tr><th>क.</th><th>कक्षा</th><th colspan="2">छात्रवृत्ति की दर</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>छात्र</th><th>छात्रा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कक्षा 05 से कक्षा 07 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर</td><td>2000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कक्षा 06 से कक्षा 08 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर</td><td>3000</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर</td><td>4000</td><td>6000</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

				4.	कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	6000	8000	
				5.	स्नातक शिक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	8000	10000	
				6.	स्नातकोत्तर शिक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	10000	12000	
				7.	स्नातक स्तर व्यावसायिक की परीक्षा में चयन होने पर	4000	4000	
				8.	स्नातकोत्तर स्तर व्यावसायिक की परीक्षा में चयन होने पर	6000	6000	

स्वास्थ्य सहायता योजनायें

4.	**चिकित्सा सहायता योजना**	**1. कृषि विभाग– कृषि विपणन बोर्ड**	मण्डी एवं हम्माल तुलावटी सहायता योजना–	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

			कृषि उपज मण्डल समिति के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी	लिए उपचार के लिए सहायता मुख्यमंत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	
		2. **सामाजिक न्याय एव नि:शक्त जन कल्याण विभाग**	**मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना**	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता मुख्यमंत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

		3. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता। मुख्यमंत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी
		4. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	पथ पर विकय करने वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता मुख्यमंत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

				मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	
		5. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	केश शिल्पी कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता मुख्यंमत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी
		6. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	म. प्र. शहरी घरेलू कामकारी महिला कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

				मुख्यंमत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	
			हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता। मुख्यंमत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	जिला- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

			पथ पर विक्रय करने वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता। मुख्यंमत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / ब्लाक चिकित्सा अधिकारी
			केश शिल्पी कल्याण योजना	इस योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 30 हजार तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए उपचार के लिए सहायता। मुख्यंमत्री बाल हदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 01 लाख तथा	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

				मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 02 लाख प्राप्त करने की पात्रता है।	
		7. **मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	चिकित्सा सहायता योजना। **पात्रता** – पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।	मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मान्य अस्पतालों में इलाज हेतु भी देय है तथा मण्डल में अधिकतम रूपये 03 लाख सहायता राशि दी जाती है। निर्माण मण्डल तथा मण्डी हम्माल एवं तुलावटी बोर्ड द्वारा बीपीएल श्रेणी के श्रमिकों की राशि राज्य बजट से तथा एपीएल श्रेणी के श्रमिकों की राशि बोर्ड से दी जाती ।	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ब्लाक चिकित्सा अधिकारी

अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता					
5.	**मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि**	**1.** **सामाजिक न्याय एव निःशक्त जन कल्याण विभाग**	**पात्रता** – मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष तक हो योजना के लिये पात्र होंगे।	हितग्राही को आम आदमी बीमा योजना के तहत उसकी सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 75 हजार, एक अंग नष्ट होने पर 37 हजार 500 रूपये तथा 02 अंग नष्ट होने पर 75 हजार रूपये की बीमित राशि प्रदान की जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मृत्यु होने पर रूपये 3 हजार की राशि अंत्येष्टि के लिए दिये जाने का प्रावधान है।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी
		2. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि योजना। **पात्रता** – पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।	इस योजना में मृत्यु या विकलांगता होने पर राज्य सहायता का प्रावधान। **सामान्य मृत्यु** पर – आयु 45 वर्ष या उससे कम होने पर – रूपये 75 हजार आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर – रूपये 25 हजार तथा **दुर्घटना में मृत्यु** पर रूपये 2 लाख। **स्थायी अपंगता** में – 75 हजार। इसके अतिरिक्त रूपये 05 हजार **अंत्येष्टि सहायता** दिये जाने का प्रावधान है।	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकार, जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र – आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका/नगर

	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014	**3.** **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्य की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना, 2014** निर्माण श्रमिक हेतु संचालित इस योजना में आवेदन के साथ एफ.आई.आर/पंचनामे की प्रति, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिर्पोट, स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। आवेदन के साथ उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना होगी।	निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर – रूपये 1 लाख निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर – रूपये 75 हजार अंत्येष्टि सहायता – रूपये 3 हजार	शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और सहायता योजनायें					
6.	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार	1. आदिम जाति कल्याण विभाग	अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।	आदिम जाति कल्याण विभाग हितलाभ – <table><tr><td>क्र.</td><td>परीक्षा का स्तर</td><td>संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि</td><td>म.प्र. लोक सेवा आयोग परीक्षा में पात्रता</td></tr><tr><td>1.</td><td>प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td><td>रूपये 40,000</td><td>रूपये 20,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>मुख्य परीक्षा उत्ती</td><td>रूपये 60,000</td><td>रूपये 30,000</td></tr></table>	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग

					र्ण होने पर			
				3.	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 50,000	रूपये 25,000	
		2. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग –	पात्रता – मध्यप्रदेश में घोषित अन्य पिछड़े वर्गो की सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये	क्र.	परीक्षा का स्तर	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि	म.प्र. लोक सेवा आयोग परीक्षा में पात्रता	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
				1.	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीण	रूपये 25,000	रूपये 15,000	

					होने पर			
				2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रूपये 50,000	रूपये 25,000	
				3.	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 25,000	रूपये 10,000	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
		3. विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध–घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	**विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों के लिए**	**क्र.**	**परीक्षा का स्तर**	**संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि**	**म.प्र. लोक सेवा आयोग परीक्षा में पात्रता**	
				1.	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण	रूपये 40,000	रूपये 20,000	
				2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रूपये 60,000	रूपये 30,000	

				3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर — रूपये 50,000	रूपये 10,000
		4. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार – 2013 पात्रता–निर्माण श्रमिक के पुत्र और पुत्रियों हेतु	(see table below)	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक

क्र.	**परीक्षा का स्तर**	**संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि**	**म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में पात्रता**
1.	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण	रूपये 25,000	रूपये 15,000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	रूपये 50,000	रूपये 25,000

				3. साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर | — | —	
	व्यावसायिक (यूजी / पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान	**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014** न्यूनतम 2 वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य पात्र होंगे। कोचिंग संस्थान – कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हों। जहां से न्यूनतम 300 विधार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई हो, कम से कम 3 वर्ष से सेवा शुल्क दे रहा हो, परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं।	रूपये 20 हज़ार अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनो में से जो कम हो) अनुदान देय होगा।	शहरी क्षेत्र में आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

आवास एवं आश्रय के लिए सहायता योजनायें					
7.	**आवास योजना**	1. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन	1. जिनके पास अधिकतम 01 हेक्टेयर कृषि भूमि है; 2. इसके लिए सवा लाख रूपये वार्षिक आय सीमा है। 3. जिसके पास भू–खण्ड है अथवा भू–खण्ड की पात्रता है। 4. स्वयं का मकान न हो।	50 हजार रूपये बैंक लोन तथा 50 हजार रूपये अनुदान।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

		2. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना** **पात्रता** – 1. निरंतर 02 वर्ष तक निरंतर वैध परिचय पत्रधारी। 2. जो इंदिरा आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने की पात्रता धारित न करते हों। 3. जिनके परिवार के पास अधिकतम कृषि भूमि 03 हेक्टेयर तक एवं परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रूपये 03 लाख तक है। 4. आवासीय/कच्चे या अर्धपक्के आवासों में निवासरत हों। 5. जिसके पास आवास के लिये स्वयं भू–खण्ड उपलब्ध हो।	रूपये 1,20,000 की लागत के मकान जिसमें रूपये 20 हजार हितग्राही के श्रम अथवा सामग्री के रूप में हो। शेष में से 50 हजार रूपये बैंक से ऋण लेने की स्थिति में हितग्राही को मण्डल द्वारा रूपये 50 हजार की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।	श्रम विभागीय अधिकारी

			मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना **पात्रता** – 1. निरंतर 02 वर्ष तक निरंतर वैध परिचय पत्रधारी 2. शासन द्वारा अनुमोदित योजना में आवास प्राप्त न किया हो। 3. स्वयं अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम आवास न हो। 4. आवासीय इकाई आवंटन हेतु संबंधित एजेन्सी द्वारा चयन किया गया हो।	रूपये 7 लाख 50 हजार तक की लागत का आवासीय निर्माण किये जाने हेतु कम से कम 50 प्रतिशत राशि बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेने की स्थिति में मण्डल द्वारा रूपये 1 लाख का अनुदान देय।	श्रम विभागीय अधिकारी

		3. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	**प्रधानमंत्री आवास योजना**	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए राशि रूपये 03. 00 लाख तक। निम्न आय वर्ग के लिये राशि रूपये 03.00 लाख से अधिक राशि रूपये 06.00 लाख तक। **1.** इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है। **2.** योजना शहरी गरीबों को निम्न 04 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी है :– "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास (प्द `पजन ैसनउ त्मकमअमसवचउमदज) कैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (।ििवतकंइसम भ्वनेपदह जीतवनही ब्तमकपज स्पदामक "नइेपकल)	आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय

				भागीदारी में किफायती आवास (।ििवतकंइसम भ्वनेपदह पद च्तंजदमतीपच) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी ष्ैनइेपकल वित इमदमपिबपंतल ।समक पदकपअपकनंस ीवनेम बवदेजतनबजपवद) 3. नगरीय निकाय तथा राज्य की अन्य निर्माण एजेन्सियॉ उक्त चारो में एक या एक से अधिक विकल्प पर योजना तैयार करे	

		4. **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**	**इंदिरा आवास योजना** गांवों में गरीबी रेखा के नीचे रह कर जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना। पात्रता – गांवों में गरीबी की रक्षा के नीचे रहने वाले आवासहीन परिवार।	यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा योगदान से चाली जाती है। इसके लिए 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवासीय जमीन होना जरूरी है। इस योजना के लिए होने वाले आवंटन में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति–जनजाति परिवारों के लिए सुरक्षित हैं। इसमें भी 3 प्रतिशत निःशक्तजनों और 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित है। इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता है। इस योजना में होने वाले निर्माण में स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हा होना जरूरी है। इस योजना में ग्राम सभा हितग्राहियों का चयन करती ह। इस योजना में मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति–जनजाति परिवार, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, विकलांग एवं मंद बुद्धि व्यक्ति, एक्स सर्विस मेन और अर्ध सैनिक बालों के सेवा	ग्राम पंचायत के सरपंच और जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

				निवृत्त सदस्यों, विकास परियोजनाओं से से विस्थापित परिवार, प्राकृतिक आपदाओं, अजिसे बाढ़, भूकंप, आग आदि से पीड़ित परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी।	
8.	**रैन बसेरा**	**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	शहर में आकर बेघर रहने वाले लोगों और निर्माण श्रमिकों को आश्रय उपलब्ध करवाने के मकसद से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा ह। ***पात्रता*** – शहरों में काम की तलाश में आने वाले गरीब श्रमिकों हेतु	शहरों में 100 रैन बसेरों का निर्माण किया जाना ह। इनमें से 96 रैन बसेरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। ये रैन बसेरे शहरों में मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बड़े अस्पताल, शहर की बड़ी बसाहट वाले सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित किये गए हैं।	आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय
		2. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	**निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना – 2014**	रैन बसेरा निर्माण हेतु – 04 महानगरों (भोपाल, जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर) – रूपये 25 लाख अन्य नगर निगम– रूपये 20 लाख नगर पालिका– रूपये 15 लाख	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी

				नगर पंचायत— रूपये 10 लाख निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्री विश्राम हेतु किया जा सकेगा।	
कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिये योजनायें					
9.	कौशल प्रशिक्षण	**1.** **आदिम जाति कल्याण विभाग**	अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बरोजगार युवकों को योजना का लाभ दिया जाता है।	विभागीय 47 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल उन्नयन के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने तथा निजी क्षेत्रों के उपक्रम में रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर विभिन्न ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।	सहायक संचालक / जिला संयोजक
		2. **म.प्र. खादी ग्रामोघोग बोर्ड**	**स्वरोजगार योजना कौशल उन्नयन विकास कार्यकम** ***पात्रता*** – प्रशिक्षाणर्थी मध्यप्रदेश में निवासरत् वयस्क पुरूष/महिला। उम्र 18 से 45 वर्ष हो।	प्रदेश में निवासरत परम्परागत एवं गैर परम्परागत कारीगरों को स्वयं के रोजगार स्थापना के पूर्व प्रशिक्षण देकर उनके कौशल उन्नयन तथा तकनीकी दक्षता का विकास करना।	सहायक संचालक / जिला संयोजक

			प्रशिक्षणार्थी ने पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नही किया हो।		
		3. **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**	शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोड़ना **पात्रता** – प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा छः माह तक सतत् संपर्क। प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 15,000 व्यय का प्रावधान है।	कौशल विकास करना	आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय
		4. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	निर्माण श्रमिकों तथा आश्रित जनों हेतु भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण। 16 से 45 वर्ष के आश्रितजनों तथा 18 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिकों हेतु	16 से 45 वर्ष के आश्रितजनों तथा 18 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिकों हेतु शुल्क का भुगतान भवन मण्डल द्वारा।	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी

	औजार उपकरण हेतु खरीदी हेतु अनुदान	**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना, 2014** 2 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।	टूल किट की वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रूपये 5000; दोनो में से जो भी कम हो, प्रस्तावित है। पांच साल में एक बार सहायता दी जायेगी।	शहरी क्षेत्र आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें					
10.	पेंशन	**1.** **सामाजिक न्याय विभाग**	**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** **पात्रता –** जब आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के या निराश्रित हो। 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. **वृद्धावस्था पेंशन** – 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो। 3. **विधवा पेंशन** – 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही हों।	300 रूपये प्रतिमाह	शहरी क्षेत्र आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

			5. निराश्रित पेंशन – 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही हों। 6. **विकलांगता पेंशन** – 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हो। इसके लिए जरूरी है कि समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।		
			इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना 60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार से हो। **पात्रताः–** 1। म.प्र। का मूल निवासी हो। 2। आवेदक (पुरूष/स्त्री) 60 वर्ष या अधिक आयु का हो।	**1**. 60 वर्ष से 64 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 200 रूपये (केन्द्रांश) **2**. 65 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 200 रूपये (केन्द्रांश) एवं राज्य सरकार द्वारा 75 रूपये (राज्यांश) कुल 275 रूपये **3।** 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 रूपये (केन्द्रांश)	शहरी क्षेत्र आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

			3। आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिये**.**		
		2. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**पेंशन सहायता** – यह योजना स्वाबलंबन योजना के अनुरूप है। यह श्रमिकों के लिए संचालित पेंशन योजना है। 2 वर्ष तक निरंतर पंजीकृत हितग्राही हेतु। 25 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिक हेतु।	इस योजना में भारत सरकार का अंशदान रूपये 1000 और मंडल द्वारा प्रथम 5 वर्ष हेतु रूपये रूपये 1000 का अंशदान	श्रम विभागीय अधिकारी
शिक्षा प्रोत्साहन योजना					
11.	**कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों हेतु योजना**	**मध्यप्रदेश भवन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**सुपर 5000 – कक्षा 10वीं एवं 12वीं 2013** राज्य की मेरिट में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रथम 5 हजार बच्चों में सम्मिलित पंजीकृत हितग्राही की संतानों को।	10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में प्रथम 5000 बच्चों की सूची में आने वाले उन बच्चों को रूपये 25 हजार की मेरिट सहायता, जिनके माता–पिता मंडल में पंजीकृत हैं। **मेधावी छात्र/छात्राओं को लेपटॉप वितरण योजना –**	संकुल प्रभारी/प्राचार्य

				मेधावी छात्रो को लैपटाप वितरण योजना अंतर्गत– 12वी की परीक्षा मे 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रो को लैपटाप क्रय करने हेतु राशि रू 25 हजार का वितरण किया जाता है।	
व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुदान					
12.	**व्यवसायिक पाठ्यकम हेतु**	**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**व्यवसायिक पाठ्यकम हेतु अध्ययन अनुदान – 2013** वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानो के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश लेने/प्रथम वर्ष में उत्तीण होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में निम्न पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान देय है – फिजियोथेरिपी डिग्री कोर्स, नर्सिंग कालेज, पेरामेडिकल कोर्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आई।टी।आई।, एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम	इस योजना के तहत रूपये 5,000 से रूपये 20,000 तक एकमुश्त सहायता दी जाती है।	श्रम विभागीय अधिकारी

13.	शेड	**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	**पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठाश्रमिक आश्रय (शेड) योजना 2013** नगरीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीठा।श्रमिकों के लिये शेड निर्माण हेतु मण्डल द्वारा रूपये 10 लाख तक अनुदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय को दिए जाते हैं।	रूपये 10 लाख का अनुदान।	सहायक श्रमायुक्त /श्रम पदाधिकारी
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन					
14.	**खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु योजना**	**1. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	मण्डल द्वारा आयोजित जिला/संभाग/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में चयनित होने विजेता होने पर।	रूपये 5 हजार से 50 हजार तक की प्रोत्साहन राशि।	**सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी**
		2. आदिम जाति कल्याण विभाग	उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये प्रोत्साहन योजना	**राष्ट्रीय स्तर**– राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को चार हजार रूपये प्रति छात्र **व्यक्तिगत स्पर्धाओं में :–** स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को इक्कीस हजार रूपये	**सहायक संचालक/जिला संयोजक /श्रम पदाधिकारी**

				रजत पदक प्राप्त करने वाले को पन्द्रह हजार रूपये कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को ग्यारह हजार रूपये **सामूहिक स्पर्धाओं में** स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को दस हजार रूपये रजत पदक प्राप्त करने वाले को सात हजार रूपये कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को पांच हजार रूपये **राज्य स्तर** – प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सात हजार रूपये द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर पांच हजार रूपये तृतीय स्थान प्राप्त करने पर तीन हजार रूपये	
स्वच्छता के लिए सहयोग					
15.	स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण	**1.** **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**	स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना–2015	राशि रूपये 12,000 (दिनांक 29.07.2016) अनुदान की राशि 2 किश्तों में 50 प्रतिशत राशि नींव खुदाई पर, शेष 50 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने पर; स्वयं/परिवार के नाम का मकान होना आवश्यक,	**सहायक श्रमायुक्त /श्रम पदाधिकारी**

				6 माह तक मंडल का सतत् वैध परिचय पत्रधारी।	
		2. **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**	**स्वच्छ भारत अभियान योजना** ***पात्रता*** – ऐसे लोग जिनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, साथ ही ऐसे गैर बी.पी.एल. परिवार, जो अनुसूचित जाति, जनजाति विधवा/परित्यक्ता, विकलांग, लघु/सीमांत परिवार से सम्बन्धित हों, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। साथ ही यह लाभ इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों को भी उपलब्ध होगा।	इस अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु रूपये 12,000/– का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वच्छ शौचालय के साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पानी की टंकी तथा हाथ धुलाई हेतु वाशवेसिन निर्मित करना अनिवार्य होगा।	शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
साइकिल प्रदान किये जाने की व्यवस्था					
16.	**सायकल हेतु अनुदान**	**1.** **स्कूल शिक्षा विभाग**	**निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना (वर्ष 2011–12)** पात्रता – ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् सभी प्रवर्ग के ऐसे बालक/बालिकॉए इस	पात्रताधारी बालक/बालिका अथवा उनके पालक को रूपये 2400 के रेखाकिंत चेक शाला प्रबंधक एवं विकास समिति के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे।	शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

			योजना से लाभान्वित होंगे, जिनके गॉव में शासकीय हाईस्कूल स्थापित नही हैं, तथा वे एक गाँव से दूसरे गॉव/शहर में शासकीय हाईस्कूल में अध्ययन के लिये जाते है इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।		
		2. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	**सायकल अनुदान योजना 2014** न्यूनतम 2 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिये सायकल क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यह सहयोग जीवनकाल में 01 बार दिए जाने का प्रावधान है।	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 4000 (जो भी कम हो) प्रस्तावित है।	शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

प्रायोगिक/मैदानी कार्य की रिपोर्ट

अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए हक आधारित और सहायता योजनाओं का संचालन किया जाता है। मैदानी कार्य की इस पुस्तक के तीसरे हिस्से में हम ऐसी ही योजनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं को सचमुच में जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। अतः आप अपनी भूमिका निभाते हुए इन्हें समुचित रूप में लागू करवायें तथा प्रायोगिक/मैदानी कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसका प्रारूप गतिविधियों के रूप में दिया गया है।

योजना का नाम (आप जिस योजना पर अपना मैदानी कार्य केंद्रित कर रहे हैं, उसे चुन लें और उसके लिए अलग 'ीट बना लें। उसी योजना पर अपने मैदानी कार्य से सम्बंधित अगले तीनों कालम में लिखे गए बिंदुओं का विस्तार से जवाब दें।)	**आपके मैदानी कार्य की 'ुरुआत में स्थिति क्या थी?** (कितने लोग वंचित थे? कितने लोगों को जानकारी थी? आदि)	**आपकी पहल का लाभ** (आपकी पहल से कितने लोगों ने योजना के लाभ के लिए आवेदन किया? वास्तव में कितने लोगों/श्रमिकों को योजना का लाभ मिला? कितने लोगों तक जानकारी पंहुची? आदि)	**इस योजना पर/के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे?**
प्रसूति सहायता/ मातृत्व हक् योजनाएं			
विवाह सम्बन्धी सहायता योजनाएं			
शिक्षा प्रोत्साहन/छात्रवृत्ति योजनाएं			
स्वास्थ्य सहायता योजनाएं			
अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता			

उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और सहायता योजनाएं			
आवास एवं आश्रय के लिए सहायता योजनाएं			
कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिये योजनाएं			
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं			
शिक्षा प्रोत्साहन योजना			
व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुदान			
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन			
स्वच्छता के लिए सहयोग			
साइकिल प्रदान किए जाने की व्यवस्था			



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुला
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org